No. A-35014/01/2020-CHS-V Government of India Ministry of Health & Family Welfare (CHS Division)

Nirman Bhawan, New Delhi 110 011 Dated, the 10 October, 2020

To,

All Ministries of the Government of India i. (including Ministry of Railways and Defence)

All State Governments/Administration of Union Territories.

Government Bodies/Semi Bodies/Autonomous ii. Central the Research Institutions Statutory under Organizations/Universities/Recognized iii. Government/State Government/Government of Nation Capital Territory of Delhi.

Subject: - Filling up of various posts in Central Health Service on deputation/Short Term Contract basis- regarding.

Sir/Madam,

The Ministry of Health & Family Welfare has decided to appoint officers in various sub-cadres of Central Health Service namely General Duty Medical Officers (GDMO), Teaching, Non-Teaching and Public Health on deputation basis from amongst the officers holding analogous posts under Central Government (including Ministries of Railways and Defence) or State Governments or Union Territories and by Short Term Contract from suitable officers holding analogous posts under the statutory bodies, autonomous bodies, semi-government organization, Universities or recognized Research institutions under Central/State Governments.

2. Officers holding analogous posts on regular basis, having requisite qualification and experience and having completed their period of probation in the parent organization can apply for appointment on deputation to CHS indicating the name of the post and sub cadre, through proper channel. All the officers who are presently working on ad-hoc deputation basis in Central Health Service (CHS) may also apply. The details of post, Pay Matrix of posts, qualification and experience required for the posts in the respective Sub-cadre of CHS are indicated in the respective annexure as below:

	Sub-Cadre of CHS	Annexure
lo.		Annexure – I
GDMO Sub C	adre	Annexure – II
Touching Spe	cialist Sub-cadre	
		Annexure – III
	g Specialist Sub-cadre	Annexure - IV
Public Healt	1 Sub-cadre	

The details of posts, Pay Matrix of posts, qualification etc. may also be seen in the Ministry's website - "https://www.mohfw.gov.in.

[Note: Those who have submitted their application through proper channel with reference to this Ministry's Vacancy Circular of even number dated 22nd June, 2020, their application will be considered for this vacancy circular. Therefore, they are not required to submit the application again.]

- The appointment on deputation basis will be made only on availability of vacancies. The officers selected will have All India Transfer Liability and will be posted at a place where vacancies exist at the time of their selection.
- The officers selected for appointment on deputation to CHS may elect to draw either the Pay in the Level prescribed in the Pay Matrix of deputation post or his/her basic pay in the parent cadre plus Deputation (duty) Allowance thereon plus personal pay, if any. The period of deputation will be governed by CHS Rules, 2014 as amended from time to time. However, the Ministry can end the term of deputation unilaterally if the regular recruitment takes place or if the policy gets changed due to any reason(s). The terms of deputation will be governed by standard terms of deputation as prescribed by the Government of India from time to time.
 - Application in the prescribed proforma (Annexure V) may be forwarded to The Under Secretary (CHS-V), Room No. 752, A-Wing, Ministry of Health & Family Welfare, Nirman Bhawan, New Delhi 110 011 within forty-five days of the date of publication of the INDICATIVE ADVERTISEMENT IN THE EMPLOYMENT NEWS. All applications should reach this Ministry through proper channel. Advance copy of the application will not be entertained.
 - While forwarding the application, the following documents may also be sent to this Ministry along with the application in the prescribed proforma: -
 - A certificate to the effect that State Government/Union Territory or the Parent Department/Organization has "NO OBJECTION" to the appointment of the officer concerned under CHS on deputation.

Attested copies of the ACRs/APARs of the applicant of last five years.

- A Certificate about the Integrity of the officer recommended for appointment on deputation ii. iii.
- Vigilance Clearance in respect of applicant duly signed by an officer of the appropriate status. Certificate of major/minor penalty imposed, if any, on the officer during the last ten iv. v.

years/entire service period, whichever is less.

Incomplete application(s) or applications received without above-mentioned documents are liable to be summarily rejected.

Eligible officers, whose spouse are working in Central Government or State Government or Union Territories and have been transferred or are working at a place where CHS posts exists, can Yours faithfully, also apply for deputation. Sarita Nour

Encl: As Above.

(Sarita Nair)

Under Secretary to the Govt. of India

Tel # 2306 3068

Copy to:-

1. The Senior Director (Tech), NIC, Ministry of Health & Family Welfare (It is requested to host the vacancy circular on the website of this Ministry under CHS.

2. All the Ministries as per the standard is attached.

General Duty Medical Officer (GDMO)

Name and Pay Matrix of the posts.

- Level 10 of Pay Matrix Rs. 56100-177500/i. Medical Officer (MO)
- Level 11 of Pay Matrix Rs. 67700-208700/ii. Senior Medical Officer (SMO)
- iii. Chief Medical Officer (CMO) Level 12 of Pay Matrix Rs. 78880-209200/-
- iv. Chief Medical Officer (NFSG) Level 13 of Pay Matrix Rs. 123100-215900/-

Qualification and Experience

The necessary qualification and experience for various posts in GDMO sub-cadre is as per schedule V and Schedule VI of CHS (Amendment) Rules, 2019. (Appendix-A). Details of posts proposed to

lled	Name of the Post	Speciality & Station	No. of Posts
No.		11.	09
1.	MO/SMO/CMO/CMO (NFSG)	CGHS, Delli	
2.	MO/SMO/CMO/CMO (NFSG)	CGHS, Shillong	01 .
	MO/SMO/CMO/CMO (NFSG)	CGHS, Allahabad	02
3.	MO/SMO/CMO/CMO (NFSG)	CGHS, Dehradun	01
4.	MO/SMO/CMO/CMO (NFSG)	CGHS, Guwahati	02
5.		CGHS, Jabalpur	02
6.	MO/SMO/CMO/CMO (NFSG)	CGHS, Kolkata	01
7-	MO/SMO/CMO/CMO (NFSG)		02
8.	MO/SMO/CMO/CMO (NFSG)	CGHS, Kanpur	02
9.	MO/SMO/CMO/CMO (NFSG)	CGHS, Lucknow	1 - 125
10	. MO/SMO/CMO/CMO (NFSG)	CGHS, Mumbai	02
11	(CNO) (CMO) (NESG)	CGHS, Raipur	01
	ISMO ISMO ISMO (NESG)	CGHS, Gauripur	02
12	1 1 Off	CGHS, Srinagar	02
1;		RLTRI, Raipur	01
14	4. MO/SMO/CMO/CMO (NFSG)	CTI, Chennai	01
1	5. MO/SMO/CMO/CMO (NFSG)	TOTA	L 31
		TOTAL	31

Teaching Specialist Sub-cadre:-

Name and Pay Matrix of Posts:

- Level 11 of Pay Matrix Rs. 67700-208700/-Level 12 of Pay Matrix Rs. 78800-209200/-Assistant Professor i. Level 13 of Pay Matrix Rs. 123100 -215900/-Associate Professor ii.
- Professor iii.

The necessary qualification and experience for various posts in Teaching sub-cadre is as per schedule **Qualification and Experience** V and Schedule VI of CHS (Amendment) Rules, 2019. (Appendix-A). Details of posts proposed to be filled

Illied		Speciality and Station	No. of Posts
Sl. No.	Name of the Post	Psychiatry, CIP, Ranchi	01
i.	Asstt. Prof./Associate Prof. /Professor Asstt. Prof./Associate Prof. /Professor	Anaethesiology, CIP, Ranchi	01
ii.		Neurology, CIP, Ranchi	01
iii.	Asstt. Prof./Associate Prof. /Professor Asstt. Prof./Associate Prof. /Professor	Radio-diagnosis,	01
iv.		CIP, Ranchi Pathology, CIP, Ranchi	01
v.	Asstt. Prof./Associate Prof. /Professor Asstt. Prof./Associate Prof. /Professor	Neuro-surgery,	01
vi.		CIP, Ranchi PMR, AIIPM&R, Mumbai	01
vii.	Asstt. Prof./Associate Prof. /Professor Asstt. Prof./Associate Prof. /Professor	Anaesthesiology, Delhi	02
viii.	Asstt. Prof./Associate Prof. /Professor	Clinical Haematology	, 01
ix.	Asstt. Prof./Associate Prof. /Professor	Delhi Neurology, Delhi	01
х.			11
	Total		

Non Teaching Specialist Sub-cadre

Name and Pay Matrix of the posts:

Level 11 of Pay Matrix Rs. 67700-208700/-Specialist Gr.III Level 12 of Pay Matrix Rs. 78800-209200/i. Level 13 of Pay Matrix Rs. 123100-215900/-Specialist Gr. II ii.

Specialist Gr. I iii.

Qualification and Experience

The necessary qualification and experience for various posts in Non-Teaching sub-cadre is as per schedule V and Schedule VI of CHS (Amendment) Rules, 2019. (Appendix-A). Details of posts

onose	d to be filled.	. W I Place of posting	No. of posts
No	Name of the Posts	Speciality and Place of posting	01
5. NO	C-sciolist Cr III/(T. II/GL. 1	Paediatrics, A&N Islands	01
1.	Chagialist Gr III/Gr. II/Gr. 1	Ophthalmology, A&N Islands	01
ii.	Cracialist Gr III/Gr. II/Gr. 1	ENT, A&N Islands	02
iii.	Specialist Gr.III/Gr. II/Gr. I	Anaesthesia, A&N Islands	02
iv.	Specialist Gr.III/Gr. II/Gr. I	Medicine, A&N Islands	01
V.	Specialist Gr.III/Gr. II/Gr. I	Pathology, A&N Islands	01
vi.	Specialist Gr.III/Gr. II/Gr. I	Radio-diagnosis, A&N Islands	01
vii.	Specialist Gr.III/Gr. II/Gr. I	Paediatrics, Lakshadweep Islands	01
ziii.	Specialist Gr.III/Gr. II/Gr. I	Anaesthesia, Lakshadweep Islands	01
ix.	Specialist Gr.III/Gr. II/Gr. I	Pathology, Lakshadweep Islands	01
х.	Specialist Gr.III/Gr. II/Gr. I	Onbthalmology, Lakshadweep Islands	02
xi.	Specialist Gr.III/Gr. II/Gr. I	kri-sebiology CRI Kasuan	01
xii.	Specialist Gr.III/Gr. II/Gr. I	Obst & Gynae, CGHS, Hyderabad	02
xiii.	Specialist Gr.III/Gr. II/Gr. I	Medicine, CGHS Delni	01
xiv	Specialist Gr.III/Gr. II/Gr. Specialist Gr.III/Gr. II/Gr.	ENT CGHS Delhi	01
XV	Specialist Gr.III/Gr. II/Gr.		20
xvi	Specialist Gr.III/Gr. II/Gr.	Total	

Public Health Sub-cadre

Name and Pay Matrix of the posts:

Level 11 of Pay Matrix Rs. 67700-208700/-Specialist Gr.III

Level 12 of Pay Matrix Rs. 78800-209200/i. Specialist Gr. II ii.

Level 13 of Pay Matrix Rs. 123100-215900/-Specialist Gr. I iii.

The necessary qualification and experience for various posts in Non-Teaching sub-cadre is as per schedule V and Schedule VI of CHS (Amendment) Rules, 2019. (Appendix- A). Details of posts

oposed t	to be filled.	Speciality and Station	No. of Post
S. No	Name of the Post		01
	Specialist Gr. III/II/I	Public Health, AIIH&PH, Kolkota	
1.		Public Health, Lakshadweep	01
2.	Specialist Gr.III/II/I		01
		Public Health, Varanasi	01
3.	Specialist Gr.III/II/I		01
	Specialist Gr.III/II/I	PHO, Kolkata	
4.		TOTAL	04
		IUIAL	

(xxiii) For Schedule-V and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely:-

Schedule-V (see rule 6(8))

SI No	Name of the Post	Age	Educational and other Qualification required
1	I. Teaching Specialist Sub-Cadre Posts		
	(1) Specialist Grade-III Assistant Professor (Super Specialties) {Level-11 (Rs.67700-208700)}	Not exceeding forty years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the orders or instructions issued by the Government)	Super-specialty mentioned in Section-A of Schedule VI from recognized Teaching Institute.

(2) Specialist Grade-III Assistant Professor (other than Super Specialities) {Level-11 (Rs.67700-208700)} Not exceeding forty years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the orders or instructions issued by the Government)

Essential:

- (i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions specified in subsection (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956).
- (ii) Post-graduate degree in the concerned Speciality or Super-speciality mentioned in Section-A of Schedule VI from recognized Teaching Institute.
- (iii) At least three years' teaching experience as Senior Resident or Tutor or Demonstrator or Registrar or Assistant Professor or Lecturer in the concerned Speciality or Superspeciality in a recognized teaching institution after obtaining the first Post-graduate degree.
- **Note-1.** Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) qualification of three years' duration shall be counted towards requirement of teaching experience in the concerned broad speciality.
- Note. 2: Doctorate of Medicine(D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) of five years' duration shall be taken as three years for completion of post graduate degree and the last two years of the said Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) shall be counted towards requirement of teaching experience.
- Note 3.- For recruitment to the post of Assistant Professors (Immuno-haematology and Blood Transfusion), D.M (Immunology) or M.D (Immuno-Haematology & Blood Transfusion) or M.D (Pathology or Bacteriology or Haematology) with at least three years' experience in a recognised teaching hospital in Immuno-haematology and Blood Transfusion (Blood Banks) or in Pathology/Bacteriology/ Haematology with two years' experience or special training in Immuno-haematology and Blood Transfusion (Blood Bank) as a Lecturer or Tutor or Senior Resident or Demonstrator after the Post Graduate Qualification in the speciality.
- Note 4.-For recruitment to the post of Assistant Professor in Orthopaedics at the Sports Injury Centre at Vardhman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, New Delhi, minimum two years' experience in the field of Sports Injury or Sports Medicine will be a desirable Qualification.
- Note 5. For appointment in the speciality of Tuberculosis and Respiratory Medicine/ Pulmonary Medicine Doctorate of Medicine (Pulmonary Medicine) will be desirable qualification.
- Note 6.-Teaching experience in any other post like the post of General Duty Medical Officer or Medical Officer shall not be considered for eligibility purpose for recruitment to teaching posts.

(3) Specialist Grade-III Assistant Professor

(Non-Clinical including Non-Medical) {Level-11 (Rs.67700-208700)} Not exceeding forty years (Relaxable for

Government servants upto five years in accordance with the orders or instructions issued by the Government)

II. Non Teaching Specialist Sub-cadre

(1) Specialist Grade III ((Super Specialities) {Level-11 (Rs.67700-208700)}

posts

Not exceeding forty years relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the orders or instructions issued by the Government.

Essential:

- (i) As indicated in Part-A, Section-A in Schedule-VI.
- At least three years' teaching experience as Senior Resident or Tutor or Demonstrator or Registrar or Assistant Professor or Lecturer in the concerned Speciality or Superspeciality in a recognized teaching institution after obtaining the first Post-graduate degree.
- Note. 1: Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) qualification of three years' duration shall be counted towards requirement of teaching experience in the connected broad speciality.
- Note 2.- Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) of five years' duration shall be taken as three years for completion of post graduate degree and the last two years of the said Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) shall be counted towards requirement of teaching experience.

Note 3.- Teaching experience in any other post like the post of General Duty Medical Officer or Medical Officer shall not be considered for eligibility purpose for recruitment to teaching posts.

Essential:

- (i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfil the conditions specified in subsection (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956).
- (ii) Post-graduate degree in the concerned Speciality or Super-speciality mentioned in Section-A of Schedule VI from recognized Teaching Institute.
- (102iii) Three years' experience in the concerned speciality or super speciality after obtaining the first Post-graduate degree.
- Note-1. Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) qualification of three years' duration shall be counted towards requirement of experience.
- Note. 2: Doctorate of Medicine(D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) of five years' duration shall be taken as three years for completion of post graduate degree and the last two years of the said Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) shall be counted towards requirement of experience.

(2) Specialist Grade-III (other than Super Specialities) {Level-11 (Rs.67700-208700)}

Not Exceeding forty years (relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the orders or instructions issued by the Government

Essential:

- (i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of Educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfil the conditions specified in subsection (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956),
- (ii).Post-graduate Degree or diploma in the concerned Speciality or Super-speciality mentioned in Section-A or Section-B in Schedule-VI.
- (iii). Three years' experience in the concerned Speciality or super-speciality after obtaining the first Post-graduate degree or 5 years' experience after obtaining the Post-graduate Diploma.
- Note-1. Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) qualification of three years' duration shall be counted towards requirement of experience in the concerned broad speciality.
- Note. 2: Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) of five years' duration shall be taken as three years for completion of post graduate degree and the last two years of the said Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) shall be counted towards requirement of teaching experience.

Note. 3: For the post of Physician (Chest and Respiratory disease) three years' experience in Respiratory Disease and Respiratory Laboratories is required.

(3) Specialist Grade-III (Non-Clinical including Non-Medical) {Level-11 (Rs.67700-208700)}

Not Exceeding forty years (relaxable for Government Servants five upto vears accordance the with orders instructions issued by the Government

Essential:

- (i) As indicated in Part-A, Section-A in Schedule-VI.
- (ii). Three years' experience in the concerned Speciality or super-speciality after obtaining the first Post-graduate degree or 5 years' experience after obtaining the Post-graduate Diploma.
- Note-1. Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) qualification of three years' duration shall be counted towards requirement of experience in the concerned broad speciality.

Note. 2: Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) of five years' duration shall be taken as three years for completion of post graduate degree and the last two years of the said Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) shall be counted towards requirement of teaching experience.

III Phillic Health Sas	100	Essential:
Cadre Posts Specialist Grade-III	Government Servants upto five years in accordance with the orders or	i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of Educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfil the conditions specified in subsection (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). (ii).Post-graduate Degree or diploma in the concerned Speciality or Super-speciality mentioned in Section-A or Section-B in Schedule-VI or equivalent. (iii). Three years' experience in the concerned Speciality after obtaining the Post-graduate degree or 5 years' experience in the Speciality after obtaining the Post-graduate Diploma.
IV. General Duty Sub- Cadre Posts Medical Officer {Level 10 of Pay Matrix (Rs.56100- 177500)}	Not exceeding thirty-five years relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the orders or instructions issued by the Government	

Note: Recognized Teaching Institutions means Medical College/ Institutions permitted/ recognized to run MBBS and / or P.G. Courses.

Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir state, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar islands or Lakshadweep).

Note 2: The Qualifications are relaxable at the discretion of the U.P.S.C, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 3: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the U.P.S.C, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the U.P.S.C is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Note 4: In the case of recruitment to the post of Medical Officer on the basis of a written examination followed by interview, the crucial date for reckoning the age limit shall be the 1st of January of the year in which the examination is held.

(xxiv) For Schedule-VI and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely:-

SCHEDULE-VI

[See rule 6 (9) and 6(10)]

		Section-A	Section-B
			n Cultura
		Requisite Post Graduate Degree Qualifications	Requisite Post Graduate Diploma Qualifications
0.	Subject	Requisite 1 ost of the control of th	Diploma Qualifications
	Part (A) NON- CLINICAL including NON- MEDICAL		
	Anatomy	Master of Surgery (Anatomy); or Doctor of Medicine (Anatomy); or Diplomate National Board (Anatomy); Or Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery with Master of Science (Anatomy); or Master of Science (Medical Anatomy) with Doctor of Philosophy (Medical Anatomy); or Master of Science (Medical Anatomy) with Doctor of Science (Medical Anatomy).	f
2.	Physiology	Doctor of Medicine (Physiology); or Diplomate National Board (Physiology); or M.B.B.S. with M.Sc. (Physiology); or Master of Science (Medical Physiology) with Doctor of Philosophy (Medical Physiology); or Master of Science (Medical Physiology) with Doctor of Science (Medical Physiology).	
3.	Bio-Chemistry	Doctor of Medicine (Bio-Chemistry); or Diplomate National Board (Bio-Chemistry); or Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery w Master of Science (Medical Bio-Chemistry); or Master of Science (Medical Bio-Chemistry) w Doctor of Philosophy (Medical Bio-Chemistry); or Master of Science (Medical Bio-Chemistry) v Doctor of Science (Medical Bio-Chemistry).	rith
4.		Doctor of Medicine (Bio-Physics); or Diplomate National Board (Bio-Physics); or M.Sc. (Bio-Physics or Medical Biochemistry) Doctor of Philosophy (Bio-Physics); or Doctor of Medicine (Physiology) or Doctor of Medicine (Bio-Chemistry) with one- training in Bio-Physics. Doctor of Medicine (Pharmacology); or	
	5. Pharmacology	Doctor of Medicine (Pharmacology); or Diplomate National Board (Pharmacology); or Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery Doctor of Philosophy (Medical Pharmacology); of Master of Science (Medical Pharmacology) Doctor of Philosophy (Medical Pharmacology); of	with

गग ॥	[-평ण्ड 3(i)]	भारत का राजपत्र : असाधारण	
		Master of Science (Medical Pharmacology) with Doctor of Science (Pharmacology).	Diploma in Clinical
	Pathology	Doctor of Medicine (Pathology); or Diplomate National Board (Pathology); or	Diploma in Clinical Pathology; or Diploma in Pathology and Bacteriology.
	Microbiology or Bacteriology	Doctor of Medicine (Bacteriology); or Diplomate National Board (Bacteriology); or Doctor of Medicine (Microbiology); or Diplomate National Board (Microbiology); or Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery with Master of Science (Medical Bacteriology); or Master of Science (Medical Microbiology) with Doctor of Philosophy (Med. Bacteriology); or Master of Science (Medical Bacteriology) with Doctor of Philosophy (Medical Bacteriology); or Master of Science (Medical Bacteriology) with Doctor of Science (Medical Bacteriology); with Doctor of Philosophy (Medical Microbiology) with Doctor of Philosophy (Medical Microbiology); or Master of Science (Medical Microbiology); with Doctor of Science (Medical Microbiology) with	
8.	Radiological Physics	Master of Science (Physics/Chemistry/Bio-Physics) with Doctor of Philosophy (Physics/Chemistry/Bio Physics; or Diplomate National Board (Radiological Physics)	
	Part (A1) NO CLINICAL	N-	Diploma in Forensic
9.	. 14 diale	e Doctor of Medicine (Forensic Medicine); or Diplomate National Board (Forensic Medicine)	Medicine
-	B. CLINICAL		
10	12.5 11.1	Doctor of Medicine (General Medicine), of Diplomate National Board (Medicine/General Medicine)	Diploma in Paediatrics
1	1. Paediatrics	Doctor of Medicine (Paediatrics); or Diplomate National Board (Paediatrics)	or Diploma in Chil Health.
	12. Tuberculosis ar Respiratory Medicine/ Pulmonary Medicine	Doctor of Medicine (Tuberculosis); or Doctor of Medicine (Tuberculosis and Respiratory Diseases); or Diplomate National Board (Tuberculosis)/ (Tuberculosis and Respiratory Diseases); or Doctor of Medicine (Medicine) with Diploma	Diploma in Tuberculos Diseases; or Diploma in Tuberculos and Chest Diseases

_				
T		Diplomate National Board (Medicine) *; or	Tuberculosis Diseases or	
		(Medicine) , or	Diploma in	
			Tuberculosis and	
			Chest Diseases.	
		Doctor of Medicine (Tuber Diseases); or Diplomate National Board (Tu Disease) .	rculosis and Chest berculosis and Chest	
3.	Psychiatry	Doctor of Medicine (Psychiatry)	; or	Diploma in
	rayemmay	Doctor of Medicine (Psychologic		Psychological Medicine
		Diplomate National Board (Psyc Medicine); or		or Diploma in Psychiatry
		Doctor of Medicine (Medicine) of Board (Medicine) with Diploma Medicine.	or Diplomate National in Psychological	
4.	Dermatology,	Doctor of Medicine (Dermatolo or	gy and Venereology);	Diploma in Venereology and
	Venereology and Leprosy	Doctor of Medicine (Dermatole	ogy, Venereology and	Dermatology of
		Leprosy); or		Diploma in Dermatology and
		Doctor of Medicine (Dermatolo		Venereology.
		Doctor of Medicine (De Venereology); or	rmatology including	
		Doctor of Medicine (Dermatolo	gy including	
		Venereology or Leprosy); or		
		Diplomate National Board Venereology/ Dermatology, Leprosy/Dermatology/Dermato Venerology/Dermatology included Leprosy); or	Venereology and logy including	
		Doctor of Medicine	with Diploma	
		Doctor	in Venereology	
	1 5 1 1 1 1 1		and Dermatology	
		Diplomate National Board	or Diploma in	
		(Medicine).	Dermatology.	
		V	Nr.	
15.	General Surgery	Master of Surgery (Surgery); o Master of Surgery (General Su		
		Diplomate National Board (Su	urgery/General Surgery)	
	Orthopaedics	Master of Surgery (Orthopaed	ics); or	Diploma
16.				Orthopaedics

	23. Anaesthesiolo	Master of Surgery (Anaest Diplomate National Board	hesiology); or	Anaesthesiology
2	22. Radio- Therapy	Doctor of Medicine (Radio Master of Surgery (Radiolo Diplomate National Radiology).	logy); or ogy); or Board (Radio-thera	Diploma in
21	Nose and Throat Radio-diagnosis	Doctor of Medicine (Radio-of Medicine (Radiology)). Doctor of Medicine (Radiology) Master of Surgery (Radiology) Diplomate National Board (diagnosis/Radiology).	ogy); or gy); or	Diploma in Medical Radio Diagnosis (DMRD) or equivalent diploma.
20	Laryngology (Ea	Master of Surgery (Oto-Rhin r, Diplomate of National Board	o-Laryngology); or	Diploma in Oto-Rhino Laryngology
19.	. Ophthalmology	Master of Surgery (Ophthalm Doctor of Medicine (Ophthal Diplomate of National Board	mology); or	Diploma in Ophthalmology; or Diploma in Ophthalmic Medicine and Surgery
		Rehabilitation); or Doctor of Medicine (Medicine) or Diplomate National Board (Medicine); or Master of Surgery (General Surgery)/Master of Surgery (Orthopaedics) or Diplomate National Board (General Surgery/Orthopaedics)	with Diploma in Physical Medicine and Rehabilitation with two years' specialtraining in the Speciality of Physical Medicine a Rehabilitation (Rehabilitation Medicine) or two Years of equivalent training approved in the subject in any approved institution India.	
8.	Physical Medicine and Rehabilitation	Doctor of Medicine (Physical M Rehabilitation); or Diplomate of National Board (P	edicine and	Medicine and Rehabilitation.
	Obstretrics and Gyanecology	Doctor of Medicine (Obstetrics a Master of Surgery (Obstetrics an Diplomate National Board (Obst Gynaecology)	d Gynaecology); or etrics and	Diploma in Gynaecology and Obstetrics Diploma in Physical

NI	lear Medicine	Doctor of Medicine (Nuclear Medic	cine); or		
Nuc	icai Medicine	Diplomate National Board (Nuclean	r Medicine); or	
		Doctor of Medicine (Radio-Therapy) or Diplomate National Board (Radio-Therapy); or	with two experien Nuclear Medicin recogniz	ce in	
		Doctor of Medicine (Medicine) or Diplomate National Board (Medicine); or	Radiation Medicing or Dipl		
		Doctor of Medicine (Radio- Diagnosis) or Diplomate National Board (Radio-diagnosis) ; or	experie Nuclea	ar Medicine cognized	
25.	Nutrition	Doctor of Medicine (Bio-Physics Radiation Medicine or Diploma Doctor of Medicine in Biocher	in Nuclear		
23.	THE	or Doctor of Medicine in Physiol Doctor of Medicine in Patholo Doctor of Medicine in Medici Doctor of Medicine in Social Preventive Medicine or	logy or ogy or ine or and	with Master of Science in applied Nutrition or Special	
		Doctor of Medicine in Comm Medicine or Doctor of Medicine in Paedia Diplomate National Board (Biochemistry/ Physiology / Pathology/Medicine/Social a preventive Medicine/Comm Medicine/Paediatrics)	atrics or and unity	training for a period of one year.	
26.	Human Metabolism	Doctor ate of Medicine (Endo Diplomate National Board (E Doctor of Medicine (Medici Doctor of Medicine (Paedia Diplomate National Board (Medicine/Paediatrics).	ine) or	gy); or with two years special training Endocrinology.	,

ग ॥-स	बुण्ड 3(i)]	मारत का राजान :	
. Im	muno- nematology and ood Transfusion	Doctorate of Medicine (Immunology) Doctor of Medicine (Immuno-Haema Transfusion); or Diplomate National Board (Immunol Haematology and Blood Transfusion	ogy/ Immuno-
		Doctor of Medicine in Pathology/ Doctor of Medicine in Bacteriology/ Doctor of Medicine in Haematology or Diplomate National Board (Pathology/Bacteriology/ Haematology)	with two years teaching experience or special training in the department of immuno- Haematology and Blood Transfusion.
28.	Family Medicine	Doctor of Medicine (Family Medic Doctor of Medicine (General Medi National Board (Family Medicine/	cine); of Dipionate
29.	Aviation Medicine or Aerospace Medicine	Diplomate National B	soard (Aviation
30.	Geriatrics	Doctor of Medicine (Family Med Doctor of Medicine (General Med Doctor of Medicine (Geriatrics); Board (Family Medicine/General	or Diplomate National Medicine/Geriatrics)
31.	Health Administration	Doctor of Medicine (Health Adn Doctor of Medicine (Hospital Ad Doctor of Medicine (I Administration); or Diploma (Health Administration/Hosp Community Health Administra	dministration); or Community Health te National Board oital Administration/ ration).
32.	Hospital Administration	Health Administration).	Iministration); or Board (Health ministration/Community
33	3. Sports Medicin	Cports M	Medicine and

		THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAO	KDII		
T		Doctor of Medicine (Physiology) or		two years'	
		Diplomate National Board		erience in	
		(Physiology)	Spor	ts Medicine	
		Doctor of Medicine (Tropical Medici	ne); o	r	
	Tropical Medicine	Doctor of Medicine (General Medicin	ne); or		
		Diplomate National Board (Tropical			
		Medicine/General Medicine); or			
		Doctor of Medicine (Microbiology)	plu	s, two years'	
		or	exp	perience in	
		Diplomate National Board	-	nical	
		(Microbiology)	me	edicine.	
	DItalagu	Doctor of Medicine (Rheumatology) : or I	Diplomate	
5.	Rheumatology	National Board (Rheumatology); or			
		Doctor of Medicine (Medicine); or	r wit	h two years'	
		or Diplomate National Board	exi	perience in eumatology or	
		(Medicine)	Im	munology	
		Doctor of Medicine (Social and Pre			
36.	Health Education		o i onti		
		or Doctor of Medicine (Community M	Medici	ne); or	
		Doctor of Medicine (Health Admir	nistrati	ion); or	
		Doctor of Medicine (Community F	Health		
		Administration); or			
		Diplomate National Board (Social	and P	reventive	
		1 1: -: /Community Medicilic/L	1Carui		
		Administration/ Community Hear	ın Au	ninistration).	
37.	Marine Medicine	Doctor of Medicine (Physiology);	or		
51.	Wiantine insense	Diplomate National Board (Physical	ology)); or,	
		Doctor of Medicine in Medicine	; or	with two years' special training	
		Diplomate National Board		in Marine	
		(Medicine).		Medicine	
			or		
38	3. Occupational	Doctor of Medicine (Psychiatry); Doctor of Medicine (Physical Me	edicine	e and	
	Health	Rehabilitation); or	Colonia		
		Master of Surgery (Orthopaedics	s); or		
		Di-Jameta National Board	(Psy	chiatry/Physical	
		Diplomate National Board Medicine and Rehabilitation/Ort	thopae	dics).	
L		Doctor of Medicine (Microbiolo	gy); o	r	
3	9. Virology	Destar of Medicine (Pathology)	; or		
		Diplomate National Board (Mic	robiol	ogy/Pathology);	
		or			
-		Doctor of Medicine (Medicine	e) or	with two	
		Diplomate National Board		years' special	
		Diplomate 1 tall		training in	
		(Medicine)		training	

[भाग II-खण्ड 3(i)]	भारत का राजपत्र : असाधारण	43
	or Master of Science (Medical Virology) with Doctor of Philosophy in Virology.	

SUPER SPECIALITIES

0.	Medical	Doctorate of Medicine (Medical Gastro	enterology); or	
	Gastroenterology	Doctorate of Medicine (Gastroenterology); or		
	0	Diplomate National Board (Medical Gastroenterology/Gastroenterology); o	or	
		Doctor of Medicine (Medicine); or Doctor of Medicine (Paediatrics); or	with two years special training in	
		Diplomate National Board (Medicine/Paediatrics)	Gastroenterology.	
11.	Neurology	Doctorate of Medicine (Neurology); o	r	
,		Diplomate National Board (Neurology	()	
42.	Endocrinology	Doctorate of Medicine (Endocrinolog Diplomate National Board (Endocrino	y); or ology); or	
		Doctor of Medicine (Medicine); or Doctor of Medicine (Paediatrics); or	with two years' special training in	
		Diplomate National Board (Medicine/Paediatrics)	Endocrinology.	
43	. Cardiology	Doctorate of Medicine (Cardiology): Diplomate National Board (Cardiology)	ogy)	
44	. Nephrology	Doctorate of Medicine (Nephrology Diplomate National Board(Nephrology	ogy)	
45	5. Plastic and Reconstructive Surgery	Magister Chirurguie (Plastic Surger Magister Chirurguie (Plastic and Diplomate National Board (P Reconstructive Surgery)	Y); or I Constructive Surgery); or Plastic Surgery/Plastic and	
4	6. Cardio Vasculand Thoracic Surgery	Magister Chirurguie (Thoracic Surg Magister Chirurguie (Cardiac Surg Magister Chirurguie (Vascular Su	gery); or gery); or Diplomate National Thoracic Surgery/ Thoracic	
	47. Neuro Surger	Surgery/Cardiac Surgery/Vascular Magister Chirurguie (Neuro Surger Diplomate National Board (Neuro	ery); or	
-	48. Paediatric Surgery	Magister Chirurguie (Paediatric S	Surgery); or	

T		Diplomate of National Board (Paed	matric ourge. //		
+	Urology	Magister Chirurguie (Urology); or	leavi		
		Diplomate of National Board (Uro	Iomate of National Board (Urology).		
	Neonatology	Doctorate of Medicine (Neonatolo Diplomate National Board (Neona	ggy); or ttology); or		
		Doctor of Medicine (Paediatrics); or Diplomate National Board (Paediatrics)	with two years' special training in Neonatology		
	Clinical Haematology	Doctorate of Medicine (Clinical Haemate National Board (Clinical Haemate	Haematology); or Diplomate ology); or		
		Doctor of Medicine (Medicine) or			
		Doctor of Medicine (Paediatrics); or	with two years' special training in		
		Doctor of Medicine (Pathology) ; or	Clinical Hematology.		
		Diplomate National Board (Medicine/Pediatrics/ Pathology)			
52	. Clinical Pharmacology	Doctorate of Medicine (Clinical National Board (Clinical Pharm Doctor of Medicine (Pharmacology); or Diplomate National Board (Pharmacology).	with two years' special training in Clinical Pharmacology Pharmacology unology); or Diplomate National		
53	3. Immunology	Doctorate of Medicine (Imm Board (Immunology); or	unology), or Diplomate		
		Doctor of Medicine (Medicinor Doctor of Medicine (Pathology); or Doctor of Medicine (Microbiology); or Doctor of Medicine (Pediatrics); or Diplomate National Board (Medicine/Pathology/Microbiology/Pediatrics).	with two years special training in Immunology.		
	54. Medical Gen	The state of the contract of t	lical Genetics); or		

		Medicine (Medicine) or Master of Surgery (Anatomy) Diplomate National Board (Pediatrics/Medicine/	with two years' special training in Medical Genetics.	
	Medical Oncology	Doctorate of Medicine (Medical Or Diplomate National Board (Medical Doctor of Medicine (Medicine) or Doctor of Medicine (Radio- therapy) or Doctor of Medicine	with two years' special training in Medical Oncology.	
		Doctor of Medicine (Pediatrics) or Diplomate National Board (Medicine/Radiotherapy/ Pediatrics). Magister Chirurguie (Surgical Ga		
56.	Surgical Gastroenterology	National Board (Surgical Gastroe Master of Surgery (General Surgery); or Diplomate National Board (General Surgery).	with two years' special training in surgical Gastroenterology.	
57.	Surgical Oncology	Magister Chirurguie (Surgical O Diplomate National Board (Surg Master of Surgery (General Surgery); or Master of Surgery (Ear, Nose, Throat); or Master of Surger (Orthopedics); or Doctor of Medicine (Obstetrial and Gynecology); or Diplomat National Boar	with two years' special training in Surgical Oncology.	
5	8. Paediatric Cardiology	(Surgery/ENT/Orthopedics/ Obst. & Gynae.) Doctorate of Medicine (Paedia National Board (Paediatric Ca Doctorate of Medicine (Cardi Diplomate National Board (C	ology); or	

		11.0		
		Doctor of Medicine (Pediatrics) or Diplomate National Board (Pediatrics).	with two years' special training in Cardiology.	
		Doctorate of Medicine (Pulmonar	y Medicine); or	
	Pulmonary Medicine	Diplomate National Board (Pulm	onary Medicine); or	
		Doctor of Medicine (Respiratory Medicine) or Doctor of Medicine (General Medicine) or Doctor of Medicine (Pediatrics) or Diplomate National Board (Respiratory Medicine/General Medicine/Pediatrics).	special training in Pulmonary Medicine.	
		D. PUBLIC HEA	LIH	
61.	Social and Preventive Medicine or Community Medicine Public Health	Doctor of Medicine (Health Ad Diplomate National Boar Medicine/Community M Administration/Health Administration/Health Administration of Medicine (Social and Doctor of Medicine (Health Ad Doctor of Medicine (Communication of Medicine (Communication of Medicine (Communication of Medicine / Health Administration); or three distributions of the Medicine of the Medici	y Medicine); or nity Health Administration); or ministration); or d (Social and Preventive dedicine/Community Health stration). Preventive Medicine); or ty Medicine); or dministration.); or unity Health Administration); or Social and Preventive Medicine/ ealth Administration/Community ee years' Master of Public Health.	Diploma in Public Health; or Diploma in Industrial Health; or Diploma in Tropical Medicine. Diploma in Tropical Medicine and Hygiene.
6	2. Epidemiology	Diplomate National Board (Community Medicine or He Health Administration). Desirable: One year training	Administration.); or anity Health Administration); or Social and Preventive Medicine or alth Administration or Community in Epidemiology in a recognized	ne
	Paediatric Nephrology	(Nephrology); or	atrics) with Doctorate of Medicin of Medicine teaching experience raining in Paediatric Nephrology	

- Note 1: Any Post Graduate Degree or Diploma awarded by any Indian Universities, included in or excluded from, the schedules to Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), consequent to recognition granted or withdrawn by Government of India as per provisions of the said Act shall be deemed to have been included or excluded accordingly from the Schedule-VI
- Note 2: The Post Graduate Medical Qualifications awarded by Indian Universities, must have been included in the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) for the purpose of Schedule-VI.
- Note 3.- The Controlling Authority may, in consultation with the Commission, include any medical qualification in Part A, Part B, Part C or Part D of Schedule-
- DNB qualification is subject to the provisions of the requirement prescribed in Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institution (Amendment) Regulations 2012, amendment Notification No. MCI-12(2)/2010-Med. Misc dated 11.06.2012 or as amended from time to time.
 - (xxv) In said rules, after the Schedule -VII, the following SCHEDULE-VIII shall be inserted, namely:--

SCHEDULE- VIII

[see rule 2(a)]

List of Administrative Posts of Central Health Service (CHS)

Sr. No.	Administrative Posts
-	All posts belonging to CHS in the Secretariat of Ministry of Health & Family Welfare.
i.	All posts belonging to CHS in the Secretariate of Health Services, Ministry of Health & All posts belonging to CHS in Directorate General of Health Services, Ministry of Health &
11.	Family Welfare.
iii.	Family Welfare. All posts belonging to CHS in Directorate Central Government Health Scheme, Ministry of Health & Family Welfare.
iv.	Dean
٧.	Director
vi.	Principal
vii.	Medical Superintendent
viii.	Additional Medical Superintendent
ix.	Head of Department of Respective Specialty
X.	Senior Regional Director in Regional Office for Health & Pamily Wehare
xi.	Additional Director, Central Government Health Scheme
110000	Additional Director in various CHS participating Institutes
xii.	L. Charge, Central Government Health Scheme Polyclinics
xiii.	If. No. A.12018/1/2014-CH

[F. No. A.12018/1/2014-CHS.V] LAV AGARWAL, Jt. Secy.

सं. ए-35014/01/2020-सीएचएस-V

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(सीएचएस प्रभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011

दिनांक 10 अक्टूबर, 2020

सेवा में,

- i. भारत सरकार के सभी मंत्रालय (रेल एवं रक्षा मंत्रालय सहित)
- ii. सभी राज्य सरकारें/ संघ शासित क्षेत्र प्रशासन
- iii. केंद्र सरकार/ राज्य सरकार/ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन सभी सांविधिक निकाय/ स्वायत निकाय/ अर्ध-सरकारी संगठन/ विश्वविद्यालय/ मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाएं

विषय:- केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा में विभिन्न पदों को प्रतिनियुक्ति/ अल्पकालीन संविदा आधार पर भरे जाने के संबंध में।

महोदय/ महोदया,

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के विभिन्न उप-संवर्गों नामतः जनरल इयूटी मेडिकल ऑफिसर (जीडीएमओ), अध्यापन, गैर-अध्यापन और जन स्वास्थ्य में अधिकारियों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। ये नियुक्तियां केंद्र सरकार (रेल एवं रक्षा मंत्रालयों सिहत) या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन सदश पदधारी अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति आधार पर और केंद्र सरकार/ राज्य सरकारों के अधीन सांविधिक निकायों, स्वायत निकायों, अर्ध-सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं में सदश पदधारी उपयुक्त अधिकारियों में से अल्पकालीन संविदा द्वारा की जाएंगी।

2. <u>नियमित आधार पर सदृश पद्धारी जो अधिकारी अपेक्षित अर्हता और अनुभव रखते हैं तथा मूल</u> संगठन में अपनी परिवीक्षा अविध पूरी कर चुके हैं, वे केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा (सीएचएस) में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए पद एवं उप-संवर्ग के नाम का उल्लेख करते हुए <u>उचित माध्यम से</u> आवेदन कर सकते हैं। वे सभी अधिकारी, जो वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा (सीएचएस) में तदर्थ प्रतिनियुक्ति आधार पर कार्यरत हैं, भी आवेदन कर सकते हैं। सीएचएस के संबंधित उप-संवर्गों में पद, पदों के वेतन मैट्रिक्स, पदों के लिए अपेक्षित अर्हता एवं अनुभव के विवरण निम्नानुसार संबंधित अनुलग्नक में दिए गए हैं:

_{ह. सं.} सीएचएस के उप-संवर्ग	अनुलग्नक
जीडीएमओ उप-संवर्ग	अनुलग्नक – I
2. अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग	अनुलग्नक – II
3. गैर-अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग	अनुलग्नक – III
4. जन स्वास्थ्य उप-संवर्ग	अनुलग्नक - IV

पद, पदों के वेतन मैट्रिक्स, अर्हता आदि का विवरण मंत्रालय की वेबसाइट "https://www.mohfw.gov.in पर भी देख सकते हैं।

[नोटः जिन्होनें इस मंत्रालय के समसंख्यक रिक्ति परिपत्र दिनांक 22 जून, 2020 के संदर्भ में पहले आवेदन उचित माध्यम द्वारा प्रेषित कर दिया है, उनका आवेदन इस रिक्ति परिपत्र हेतु शामिल किया जाएगा। अतएव उन्हें दुबारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करनें की आवश्यकता नहीं है।]

- 3. प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति केवल रिक्तियां उपलब्ध होने पर ही की जाएंगी। चयनित अधिकारी अखिल भारतीय स्थानांतरण दायित्व के अधीन होंगे और उन्हें उस स्थान पर तैनात किया जाएगा जहां उनके चयन के समय रिक्तियां विद्यमान होंगी।
- 4. सीएचएस में प्रतिनियुक्ति हेतु चुने गए अधिकारी या तो प्रतिनियुक्ति वाले पद के वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में वेतन लेने अथवा अपने मूल संवर्ग का वेतन तथा उस पर प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भता और निजी वेतन, यदि कोई हो, लेने का चयन कर सकते हैं। प्रतिनियुक्ति की अवधि समय-समय पर यथा संशोधित सीएचएस नियमावली, 2014 द्वारा शासित होगी। तथापि, यदि नियमित भर्ती की जाती है या किसी कारणवश नीति परिवर्तित की जाती है तो प्रतिनियुक्ति की अवधि एकपक्षीय रूप से समाप्त की जा सकती है। प्रतिनियुक्ति की शर्ते भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित मानक प्रतिनियुक्ति शर्तों द्वारा शासित की जाएंगी।
 - 5. निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-V) में भरे हुए आवेदन पत्र <u>रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशन</u> की तारीख से पैतालीस (45) दिनों के अंदर अवर सचिव (सीएचएस-V), कमरा नं. 752, ए-विंग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को अग्रेषित किए जा सकते हैं। सभी आवेदन पत्र इस मंत्रालय में उचित माध्यम द्वारा पहुंचने चाहिए। आवेदन पत्र की अग्रिम प्रति स्वीकार नहीं की जाएगी।
 - 6. इस मंत्रालय को आवेदन पत्र अग्रेषित करते समय निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रलेख भी भेजें:-
 - i. इस आशय का प्रमाण पत्र कि संबंधित अधिकारी की सीएचएस में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति पर राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र या मूल विभाग/ संगठन को "कोई आपित नहीं" है।
 - ii. आवेदक की पिछले पांच वर्षों की एसीआर/ एपीएआर की सत्यापित प्रतियां।

iv. आवेदक के संबंध में सतर्कता निकासी, जो किसी उपयुक्त स्तर के अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो।

v. अधिकारी की पिछले 10 वर्षीं/ संपूर्ण सेवा अविध, जो भी कम हो, के दौरान उस पर लगाई गई बड़ी/ छोटी पैनाल्टी, यदि कोई हो, का प्रमाणपत्र।

अधूरे आवेदन पत्र या उक्त उल्लिखित प्रलेखों के बिना प्राप्त आवेदन पत्र रद्द कर दिए जाएंगे।

7. ऐसे पात्र अधिकारी, जिनकी पत्नी/ पति केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र में कार्यरत हैं और ऐसे स्थान पर स्थानांतरित किए गए हैं या कार्य कर रहे हैं जहां सीएचएस पद विद्यमान हैं, प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं।

संलग्नकः यथोक्त

भवदीया,

(सरिता नायर)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन: 23063068

प्रतिलिपि:

- वरिष्ठ निदेशक (टेक.), एनआईसी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (अनुरोध है कि रिक्ति परिपत्र को इस मंत्रालय की वेबसाइट पर सीएचएस के अंतर्गत अपलोड करें)
- 2. संलग्न मानक सूची के अनुसार सभी मंत्रालय।

जनरल इयूटी मेडिकल ऑफिसर (जीडीएमओ)

पदों का नाम और वेतन मैट्रिक्स

i. मेडिकल ऑफिसर (एमओ)

सीनियर मेडिकल ऑफिसर (एसएमओ)

iii. चीफ मेडिकल ऑफिसर (सीएमओ)

iv. चीफ मेडिकल ऑफिसर (एनएफएसजी)

वेतन मैट्रिक्स 56100-177500/- रुपए का लेवल 10

वेतन मैट्रिक्स 67700-208700/- रुपए का लेवल 11

वेतन मैट्रिक्स 78800-209200/- रुपए का लेवल 12

वेतन मैट्रिक्स 123100-215900/- रुपए का लेवल 1 3

अर्हता एवं अनुभव

ii.

जीडीएमओ उप-संवर्ग के विभिन्न पदों के लिए अपेक्षित अर्हता और अनुभव केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा (संशोधन) नियमावली, 2019 की अनुसूची-V के अनुसार है (परिशिष्ट-क)

पदों का विवरण, जिन्हें भरे जाने का प्रस्ताव है

क्र.सं.	पद का नाम	स्पेश्यलिटी एवं स्टेशन	पदों की संख्या
1.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	सीजीएचएस, दिल्ली	09
2.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	सीजीएचएस, शिलांग	01
3.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	सीजीएचएस, इलाहाबाद	02
4.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	सीजीएचएस, देहरादून	01
5.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	सीजीएचएस, गुवाहाटी	02
6.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	सीजीएचएस, जबलपुर	02
7.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	सीजीएचएस, कोलकाता	01
8.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	सीजीएचएस, कानपुर	02
9.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	सीजीएचएस, लखनऊ	02
10.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	सीजीएचएस, मुंबई	02

	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	सीजीएचएस, रायपुर	01
12.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	सीजीएचएस, गौरीपुर	02
13.	मेडिकल ऑफिसर	सीजीएचएस, श्रीनगर	02
14.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	आरएलटीआरआई, रायपुर	01
15.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	सीटीआई, चेन्नई	01
		फुल	31

शिक्षण विशेषज्ञ उप - संवर्ग:-

पद का नाम और वेतनमान:

i. असिस्टेंट प्रोफेसर – वेतन मैट्रिक्स 67700-208700/- रुपए का लेवल 11

ii. एसोसिएट प्रोफेसर - वेतन मैट्रिक्स 78800-209200/- रुपए का लेवल 12

iii. प्रोफेसर - वेतन मैट्रिक्स 123100-215900- रुपए का लेवल 13

अर्हता एवं अनुभव

जीडीएमओ उप-संवर्ग के विभिन्न पदों के लिए अपेक्षित अर्हता और अनुभव केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा (संशोधन) नियमावली, 2019. की अनुसूची V और VI के अनुसार है (परिशिष्ट-क)।

पदों का विवरण,जिन्हें भरे जाने का प्रस्ताव है

क्र.सं.	पद का नाम	स्पेश्यलिटी और स्टेशन	पदों की संख्या
i.	असिस्टेंट प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर	मनोचिकित्सा, सीआईपी, रांची	01
ii.	असिस्टेंट प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर	एनेस्थीसिया विज्ञान, सीआईपी, रांची	01
iii.	असिस्टेंट प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर	स्नायु रोग विज्ञान, सीआईपी, रांची	01
iv.	असिस्टेंट प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर	रेडियो-डायग्नोसिस, सीआईपी, रांची	01
v.	असिस्टेंट प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर	पैथोलॉजी, सीआईपी, रांची	01
vi.	असिस्टेंट प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर	न्यूरो सर्जरी, सीआईपी, रांची	01
vii.	असिस्टेंट प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर	पीएमआर, एआईआईपीएम एंड आर, मुंबई	01
viii.	असिस्टेंट प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर	एनेस्थीसिया विज्ञान, दिल्ली	02
ix.	असिस्टेंट प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर	नैदानिक रुधिर विज्ञान, दिल्ली	01
х.	असिस्टेंट प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर	तंत्रिका विज्ञान	01
		कुल	11

गैर शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग

पद का नाम:

i. स्पेश्यिलस्ट ग्रेड III - वेतन मैट्रिक्स 67700-208700 - रुपए का लेवल 11

ii. स्पेश्यलिस्ट ग्रेड II - वेतन मैट्रिक्स 78800-209200/- रुपए का लेवल 12

iii. स्पेश्यिलस्ट ग्रेड I - वेतन मैट्रिक्स 123100-215900- रुपए का लेवल 13

अर्हता एवं अनुभव:

जीडीएमओ उप-संवर्ग के विभिन्न पदों के लिए अपेक्षित अर्हता और अनुभव केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा (संशोधन) नियमावली, 2019. की अनुसूची V और VI के अनुसार है (परिशिष्ट-क)।

पदों का विवरण,जिन्हें भरे जाने का प्रस्ताव है

क्र.सं.	पद का नाम	स्पेश्यलिटी एवं तैनाती का स्थान	पदों की संख्या
i.	स्पेश्यलिस्ट ग्रेड III/ग्रेड II/ग्रेड I	पेडियाट्रिक्स, अंडमान और निकोबार	01
		द्वीप समूह	
ii.	स्पेश्यलिस्ट ग्रेड III/ग्रेड II/ग्रेड I	ऑफ्थल्मोलॉजी, अंडमान और	01
		निकोबार द्वीप समूह	
iii.	स्पेश्यलिस्ट ग्रेड III/ग्रेड II/ग्रेड I	ईएनटी, अंडमान और निकोबार द्वीप	01
		समूह	
iv.	स्पेश्यलिस्ट ग्रेड III/ग्रेड II/ग्रेड I	एनेस्थीसिया, अंडमान और निकोबार	02
		द्वीप समूह	
v.	स्पेश्यलिस्ट ग्रेड III/ग्रेड II/ग्रेड I	मेडिसिन, अंडमान और निकोबार द्वीप	02
		समूह	
vi.	स्पेश्यलिस्ट ग्रेड III/ग्रेड II/ग्रेड	पैथोलॉजी, अंडमान और निकोबार	01
		द्वीप समूह	
vii.	स्पेश्यलिस्ट ग्रेड III/ग्रेड II/ग्रेड	रिडियोडायग्नोसिस, अंडमान और	01
		निकोबार द्वीप समूह	
viii.	स्पेश्यलिस्ट ग्रेड III/ग्रेड I पेडियाट्रिक्स, लक्षद्वीप द्वीपसमूह		01
ix.	स्पेश्यितस्ट ग्रेड III/ग्रेड II/ग्रेड I एनेस्थीसिया, लक्षद्वीप द्वीपसमूह		01
x.	स्पेश्यिसट ग्रेड III/ग्रेड II/ग्रेड I पैथोलॉजी, लक्षद्वीप द्वीपसमूह		01
xi.		ड II/ग्रेड I नेत्र-विज्ञान, लक्षद्वीप द्वीपसमूह	
xii.	स्पेश्यलिस्ट ग्रेड III/ग्रेड II/ग्रेड		02
		कसौत <u>ी</u>	

xiii.	स्पेश्यलिस्ट ग्रेड III/ग्रेड II/ग्रेड I प्रसूति एवं स्त्रीरोग विज्ञान,	01
	सीजीएचएस, हैदराबाद	
xiv.	स्पेश्यलिस्ट ग्रेड III/ग्रेड II/ग्रेड I मेडिसीन, सीजीएचएस, दिल्ली	02
XV.	स्पेश्यलिस्ट ग्रेड III/ग्रेड II/ग्रेड I नाक-कान-गला, सीजीएचएस, दिल्ली	01
xvi.	स्पेश्यितस्ट ग्रेड III/ग्रेड II/ग्रेड I पैथौताँजी, सीजीएचएस, दिल्ली	01
	कल	20

....

जन स्वास्थ्य उप-संवर्ग

पद का नाम:

i. स्पेश्यलिस्ट ग्रेड III

ii. स्पेश्यलिस्ट ग्रेड II

iii. स्पेश्यलिस्ट ग्रेड I

वेतन मैट्रिक्स 67700-208700/- रुपएका लेवल 11

- वेतन मैट्रिक्स 78800-209200/- रुपए का लेवल 12

वेतन मैट्रिक्स 123100-215900/- रुपए का लेवल 13

<u>अर्हता एवं अनुभवः</u>

जीडीएमओ उप-संवर्ग के विभिन्न पदों के लिए अपेक्षित अर्हता और अनुभव केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा (संशोधन) नियमावली, 2019. की अनुसूची V और VI के अनुसार है (परिशिष्ट-क)।

पदों का विवरण,जिन्हें भरे जाने का प्रस्ताव है

क्र.सं.	पद का नाम	स्पेश्यलिटी एवं स्टेशन	पदों की संख्या
1.	स्पेश्यलिस्ट ग्रेड III/II/I	जन स्वास्थ्य, एआईआईएच एंड पीएच, कोलकाता	01
2.	स्पेश्यलिस्ट ग्रेड ॥।/॥/।	जन स्वास्थ्य, लक्षद्वीप	01
3.	स्पेश्यलिस्ट ग्रेड III/II/I	जन स्वास्थ्य, वाराणसी	01
4.	स्पेश्यलिस्ट ग्रेड III/II/I	पीएचओ, कोलकाता	01
		कुल	04

	3			अनुलब्ब	
			प्रपत्र		
1.	पद क	न नाम, रि	जेसके लिए आवेदन किया है	1 1	
2.	सीएच	गएस इका	ई का नाम, जिसके लिए आवेदन किया है।		
3.	नाम .	और वर्तम	नान पदनाम	:	
4.	प्रथम	नियुक्ति	। की तिथि वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल सहि	त :	
5.	वेतन	मैट्रिक्स	में वर्तमान वेतन लेवल :		
6.	पूरा प	गता बड़े 3	क्षरों में		
7.		इल नंबर			
8.	ई-मेल आईडी				
9.	. जन्मतिथि (ईसवी संवत् में)				
10.	. केंद्रीय/राज्य सरकार के नियमों के तहत सेवानिवृत्ति की तिथि :				
11.	1. शैक्षणिक अर्हता :			1	
12.	क्या	आप पद	के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हता	रखते हैं (यदि किसी अर्हता को नियमों में 1	
किर्स	ो अर्हत	ग के सम	कक्ष माना गया है, तो उसके लिए प्राधिकारी व	का उल्लेख करें)	
		:			
			अपेक्षितअर्हताएं/अनुभव	अधिकारी द्वारा धारित अर्हता/अनुभव	
	वार्य	(1)			
अनि		(2)			
अनि					
अनि		(3)			
	जीय	(3)			

14. रोजगार का क्रमवार विवरण। यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त हो, तो आपके हस्ताक्षर द्वारा विधिवत् अधिप्रमाणित और नियोक्ता द्वारा सत्यापित एक अलग शीट संलग्न करें, :

कार्यालय/संस्थान/संगठन धारित पद से तक वेतनमान और मूल वेतन कार्यों का स्वरूप

1.

2.

3.

वर्तमान रोजगार की प्रकृति, अर्थात तदर्थ अथवा अस्थाई अथवा स्थाई	
क्या परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी हो गई थी	:
यदि वर्तमान पद प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर अधारित हो, तो कृपर	ग उल्लेख करें-
ख) प्रतिनियक्ति/संविदा पर नियुक्ति की अवधि	
ग) मूल कार्यालय/संगठन का नाम, जिससे आप संबंधित हैं	1
वर्तमान रोजगार का अतिरिक्त विवरण	
या उल्लेख करें क्या आप निम्न के तहत कार्य करते हैं	
क) केंद्र सरकार	
ख) राज्य सरकार	
ग) स्वायत्त संगठन	
घ) सरकारी उपक्रम	
ङ) विश्वविद्यालय	
 कृपया उल्लेख करें क्या पहले अप्राधिकृत अनुपस्थित, असाधारण छु क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं? यदि हां, तो वेतनमान संशोधित तनमान भी दर्शाए: 	होने की तारीख बताएं तथा संशोधन पूर्व तथा ग्रेड वेतन अलग-अलग दर्शाए): उपयुक्तता के समर्थन में उल्लेख करना
	अभ्यर्थी के हस्ताक्षर पता दूरभाष नंबर
दिनांक	
	वर्तमान रोजगार का अतिरिक्त विवरण या उल्लेख करें क्या आप निम्न के तहत कार्य करते हैं क) केंद्र सरकार या राज्य सरकार ग) स्वायत संगठन घ) सरकारी उपक्रम ङ) विश्वविद्यालय त. कृपया उल्लेख करें क्या आप किसी राज्य सरकार अथवा केंद्रीय सरव त. कृपया उल्लेख करें क्या पहले अप्राधिकृत अनुपस्थित, असाधारण छु त. क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं? यदि हां, तो वेतनमान संशोधित तनमान भी दर्शाएः 2. वर्तमान में प्रतिमाह आहरित कुल परिलब्धियां (वेतन बैंड, बैंड वेतन 3. अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, जिसका आप पद के लिए अपनी याहते हैं। स्थान अपर्याप्त होने पर प्रथक शीट संलग्न करें तथा उसे अपने 24. क्या अजा/अजजा/भन्य पिछडा वर्ग से संबंध रखते हैं 25. अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)

नियोक्ता के प्रतिहस्ताक्षर

अनुसूची V (नियम 6(8) देखें)

*11 #	पद का नाम	(नियम 6(8) देखें) सीधी भीर्ती के लिए आयु	चयन का क्षेत्र और न्यूनतम अर्हता सेवा
क्रम सं. ।	।.अध्यापन विशेषज्ञ उप- संवर्ग पद (1) विशेषज्ञ ग्रेड III सहायक प्रोफेसर (सुपर स्पेशियलिटीज) (स्तर- 11 (67700-208700 रु.)}	40 वर्ष से अनधिक सरकार द्वारा जारी किए गए	विस्तर अपूर्य के किया में मिमलित कोई
			(ii) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में अनुसूची VI की धारा-क में उल्लिखित संबंधित स्पेशिएलिटी अथवा सुपर स्पेशिएलिटी में स्नातकोत्तर डिग्री। (iii) स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में संबंधित स्पेशिएलिटी अथवा सुपर स्पेशिएलिटी में विरष्ठ रेजिडेंट अथवा ट्यूटर अथवा डिमोंस्टेटर अथवा रिजेंडेंट अथवा स्वायक आचार्य अथवा लेक्चरार के तौर पर कम से कम तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव। टिप्पण 1: शिक्षण अनुभव की अपेक्षाओं में तीन वर्ष की अवधि वाले डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डीएम) अथवा मेजिस्टर चिरुरगाई (एस.सीएच) की अर्हता का शिक्षण अनुभव की अपेक्षाओं में शामिल किया जाएगा। टिप्पण 2: पांच वर्ष की अवधि वाले डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डीएम) अथवा मेजिस्टर चिरुरगाई (एम.सीएच) को स्नातकोत्तर डिग्री के पूरा होने पर पांच वर्ष की अर्हता के तौर पर लिया जाएगा तथा उक्त डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डीएन) अथवा मेजिस्टर चिरुरगाई (एस.सीएच) के अंतिम दो वर्ष को इस शिक्षण अनुभव की अपेक्षाओं में सम्मिलित किया जाएगा। टिप्पण 3: सहायक प्रोफेसर (इम्यूनो-हेमेटोलॉर्ज एव रक्ताधान), डीएम (इम्यूनोलॉर्ज) अथव

0	THE GAZE	ETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 5(7)]
		एम.डी. (इम्यूनो हेमेटोलॉजी एवं रक्ताधान) अथवा एम.डी (पैथोलॉजी/बैक्टीरियोलॉजी/हेमेटोलॉजी) के पद के लिए भर्ती के संबंध में किसी स्पेशिएलिटी में स्नातकोत्तर अर्हता के बाद एक लेक्चरर अथवा ट्यूटर अथवा सिनियर रेजीडेंट अथवा डिमोंस्टेटर के तौर पर इम्यूनो हेमेटोलॉजी और रक्ताधान (रक्त बैंक) में दो वर्ष के अनुभव अथवा विशेष प्रशिक्षण के साथ इम्यूनो हेमेटोलॉजी और रक्ताधान (रक्त बैंक) अथवा पैथेलॉजी/बैक्टीरियोलॉजी/हेमेटोलॉजी में किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण अस्पताल में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो। टिप्पण 4: साधारण ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी अथवा चिकित्सा अधिकारी के पद जैसे अन्य किसी पद में शिक्षण अनुभव को शिक्षण पदों पर भर्ती के लिए प्रस्तावित पात्रता में सिम्मिलित नहीं किया
	(2) विशेषज्ञ ग्रेड III सहायक आचार्य (सुपर स्पेशिएलिटी को छोड़कर) {स्तर-11 (रु. 67700- 208700)}	आवश्यकः सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवाओं के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। अवश्यकः (1) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की प्रथम अनुस्ची अथवा द्वितीय अनुस्ची अथवा तृतीय अनुस्ची (अनुज्ञित धारा अर्हताएं को छोड़कर) के भाग-॥ में सम्मिलित कोई मान्यता प्राप्त एमबीबीएस डिग्री अर्हता। तृतीय अनुस्ची के भाग-॥ में सम्मिलि शैक्षिक अर्हता भारत को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उप- धारा 3 में विनिर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना होगा। (ii) किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से अनुस्ची-। पे के खंड-क में उल्लिखित संबंधित स्पेशिएलिटी अथवा सुपर स्पेशिएलिटी में स्रातकोत्तर डिग्री। (iii) प्रथम स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में संबंधित स्पेशिएलिटी अथवा सुपर स्पेशिएलिटी में वरिष्ठ रेजिंडेंट अथवा ट्यूटर अथवा डिमोंस्टेटर अथवा रजिस्ट्रार अथवा सहायक आचार्य अथवा प्राध्यापक के तौर पर कम से कम तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव। टिप्पण 1: शिक्षण अनुभव की अपेक्षाओं में तीन वर्ष की अवधि वाले डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डीएन) अथवा मेजिस्टर चिरुरागाई (एस.सीएव) की अर्हता का आकलन किया जाएगा। टिप्पण 2: पांच वर्ष की अवधि वाले डॉक्टरेट ऑ मेडिसिन (डीएन) अथवा मेजिस्टर चिरुरागाई(एस.सीएव) की स्नातकोत्तर डिग्री के पूरा होने प्

भारत का राजपत्र : असाधा	
	उक्त डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डीएन) अथवा मेजिस्टर चिरुरगाई (एस.सीएच) के अंतिम दो वर्ष को इस शिक्षण अनुभव की अपेक्षाओं में सम्मिलत किया जाएगा। टिप्पण 3: सहायक आचार्य (इम्यूनो-हेमेटोलॉजी एवं रक्ताधान), डीएम (इम्यूनोलॉजी) अथवा एम.डी. (इम्यूनो हेमेटोलॉजी एवं रक्ताधान), अथवा एम.डी. (ईम्यूनो हेमेटोलॉजी एवं रक्ताधान) अथवा एम.डी. (पैथोलॉजी/बैक्टीरियोलॉजी/हेमेटोलॉजी) के पद के लिए भर्ती के संबंध में किसी स्पेशिएलिटी में स्नातकोत्तर अर्हता के बाद एक प्राध्यापक अथवा ट्यूटर अथवा सिनियर रेजीडेंट अथवा डिमोंस्टेटर के तौर पर इम्यूनो हेमेटोलॉजी और रक्ताधान (रक्त बैंक) में दो वर्ष के अनुभव अथवा विशेष प्रशिक्षण के साथ इम्यूनो हेमेटोलॉजी और रक्ताधान (रक्त बैंक) अथवा पैथेलॉजी/बैक्टीरियोलॉजी/हेमेटोलॉजी में किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण अस्पताल में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो। टिप्पण 4: वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग हॉस्पिटल, नई दिल्ली में खेल-कूद क्षति केन्द्र में ओर्ओपडिक्स में सहायक आचार्य के पद पर भर्ती के लिए खेल-कूद क्षति अथवा खेल-कूद मेडिसिन के क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का अनुभव एक वांछित अर्हता होगी। टिप्पण 5: क्षयरोग एवं श्वसन मेडिसीन/पलमोनरी मेडिसीन की विशेषज्ञता में नियुक्ति के लिए डाक्ट्रेट आफ मेडिसी (पल्मोनरी मेडिसीन) वाँछनीय अर्हता होगी। टिप्पण 6: जनरल ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी अथवा चिकित्सा अधिकारी के पद जैसे अन्य किसी पद में शिक्षण अनुभव को शिक्षण पदों पर भर्ती के लिए प्रस्तावित अर्हता में सम्मिलित नहीं किया
ड III 40 वर्ष से अन	जाएगा। धिक, आवश्यकः
ह III मि (गैर त गैर सरकार द्वारा जारी गए आदेशों या अनुते अनुसार सरकारी सेव लिए पांच वर्ष तक की जा सकती है।	शा के दर्शाया गया है। तओं के ——————————————————————————————————
	का जा सकता हा

2	THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. अस्ति के तौर पर सम्मिलित किया जाएगा।
	िष्णण 2: पांच वर्ष की अवधि वाले डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डीएन) अथवा मेजिस्टर चिरुरगाई (एस.सीएच) को स्नातकोत्तर डिग्री के पूरा होने पर पांच वर्ष की अर्हता के तौर पर लिया जाएगा तथा उक्त डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डीएन) अथवा मेजिस्टर चिरुरगाई (एस.सीएच) के अंतिम दो वर्ष को इस शिक्षण अनुभव की अपेक्षाओं में सम्मिलित किया जाएगा। िष्णण 3: जनरल ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी अथवा चिकित्सा अधिकारी अथवा चिकित्सा अधिकारी के पद जैसे अन्य किसी पद में शिक्षण अनुभव को शिक्षण पदों पर भर्ती के लिए प्रस्तावित अर्हता में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
1	ा। गैर-शिक्षण उप-संबर्ग पद (ा)विशेषज्ञ ग्रेड III (सुपर स्पेशिएलिटी) {स्तर-11 (रु. 67700-208700 रु.)} (स्तर-11 (रु. 67700-208700 रु.)) क्षेत्र मं अनुस्था अभ्या हिरीय अनुस्था अभ्या हिरीय अनुस्था अभ्या मा सम्मिनित कोई अनुस्था अभ्या परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उप-धारा (3) में विनिर्देष्ट शर्तों को भी पूरा करना होगा। (ii) अनुस्था-रिट अथवा सुपर स्पेशिएलिटी में अनस्था संबंधित स्पेशिएलिटी अथवा सुपर स्पेशिएलिटी में अनस्था का अनुभव हो। किस्पण 1: अनुभव की अपेक्षाओं में तीन वर्ष की अवधि वाले डॉक्टरेट ऑफ मोडिसिन (डीएन) अथवा मेजिस्टर विरुरगाई (एस.सीएच) की अर्हता का आकलन किया जाएगा। किस्पण 2: पांच वर्ष की अवधि वाले डॉक्टरेट ऑफ मोडिसिन (डीएन) अथवा मेजिस्टर विरुरगाई (एस.सीएच) को आतकोत्तर डिग्री के पूरा होने प्रतीन वर्ष की अर्विश के प्रताक के तौर पर लिया जाएगा।
	(2) विशेषज्ञ ग्रेड III 40 वर्ष से अनिधिक सरकार (i) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 195 (सुपर स्पेशिएलिटी से आदेशों या अनुदेशों के (1956 का 102) की प्रथम अनुसूची अथवा द्विर्त

भाग II—खण्ड 3(i)]	अनुसार सरकारी सेवकों के अनुसूची अथवा तृतीय अनुसूची (लाइसेंस प्राप्त
{स्तर -11 (रु. 67700- 208700 रु.)}	लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। जिए 5 वर्ष तक शिथिल की मान्यता प्राप्त एमबीबीएस डिग्री अर्हता। तृतीय अनुसूची के भाग-II में सिम्मिल शैक्षिक अर्हता। तृतीय अनुसूची के भाग-II में सिम्मिल शैक्षिक अर्हता। तृतीय अनुसूची के भाग-II में सिम्मिल शैक्षिक अर्हता। शारत को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना होगा। (ii) किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से अनुसूची-VI की खंड-क में उल्लिखित संबंधित स्पेशिएलिटी अथवा सुपर स्पेशिएलिटी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। (iii) स्नातकोत्तर डिप्लोमा। (iii) स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात् पांच वर्ष का अनुभव प्रथम स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद संबंधित स्पेशिएलिटी अथवा सुपर स्पेशिएलिटी में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो। टिप्पण 1: शिक्षण अनुभव की अपेक्षाओं में तीन वर्ष की अवधि वाले डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डीएन) अथवा मेजिस्टर चिरुरगाई (एस.सीएच) की अर्हता का आकलन किया जाएगा। टिप्पण 2: पांच वर्ष की अवधि वाले डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डीएम) अथवा मेजिस्टर चिरुरगाई (एस.सीएच) को स्नातकोत्तर डिग्री के पूरा होने पर तीन वर्ष की अर्हता के तौर पर लिया जाएगा। टिप्पण 3: फिजिशियन (चेस्ट एंड रेस्पिरेट्री डिजिज) के पद के लिए रेस्पिरेट्री डिजिज और रेस्पिरेट्री लेबोरेट्री में तीन वर्ष का अनुभव अपेक्षित
(3) स्पेशिएलिटी ग्रे (गैर चिकित्सा सहि क्लिनिकल) {स्तर -11 (रु. 67 208700)}	त गैर द्वारा जारा । जिल्लेखानुसार आदेशों के उल्लेखानुसार । अनुसूर्य सरकारी सेवकों के । जन्म स्थित दिपलोमा प्राप्त करने के

ļ	THE GA	ZETTE OF INDIA : EXTRAC	े कि की न वर्षमाना जाएगा और उक्त डाक्टरट
			के लिए तीन विषमाना आर्था सार्थित के लिए तीन विषमा आर्था सार्थित किर मेडिसन (डीएम) या मजिस्टर चिरूरगुई (एम.सीएच) के अंतिमदो वर्षों की गणना अनुभवकी आवश्यकता के तौर पर की जाएगी।
	III. लोक स्वास्थ्य उप- संवर्ग पद विशेषज्ञ ग्रेड-III (स्तर- 11 (रु. 67700- 208700)}	40 वर्ष से अनिधिक सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।	आवश्यकः (i) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की प्रथम अनुसूची अथवा द्वितीय अनुसूची अथवा तृतीय अनुसूची अथवा तृतीय अनुसूची (लाइसेंस प्राप्त अर्हता को छोड़कर) के भाग-II में सम्मिलित कोई मान्यता प्राप्त एमबीबीएस डिग्री अर्हता । तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलि शैक्षिक अर्हता भारत को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना होगा। (ii) किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से अनुसूची-VI की खंड-क में उल्लिखित संबंधित स्पेशिएलिटी अथवा सुपर स्पेशिएलिटी में स्नातकोत्तर डिग्री। (iii) स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के बाद संबंधित स्पेशिएलिटी अथवा सुपर स्पेशिएलिटी में कम से कम तीन वर्ष अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद 5 वर्ष का अनुभव हो।
	IV साधारण ड्यूटी संवर्ग पद चिकित्सा अधिव {स्तर-10 (561 177500 रु.)}	द्वारा जारी किए गए आवे या अनुदेशों के अनु कारी	शि (i) भारतीय चिकित्सा परिषद आवागपर, उठिर सार (1956 का 102) की प्रथम अनुसूची अथवा द्वितीय ए 5 अनुसूची अथवा तृतीय अनुसूची (अनुज्ञप्ति प्राप्त

टिप्पण : मान्यताप्राप्त अध्यापन संस्थान जो एमबीबीएस/या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने के लिए अनुज्ञात/मान्यताप्राप्त से अभिषेत है।

टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्ष्यद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

टिप्पण 2: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लखबद्ध किए जाएं केन्द्रीय संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेगी।

टिप्पण 3: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं केन्द्रीय संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के प्राप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

टिप्पण 4: लिखित परीक्षा के आधार पर चिकित्सा अधिकारी का पद भर्ती के मामले में साक्षात्कार द्वारा किया जाएगा, आयु सीमा की गणना के लिए निर्णायक तारीख वर्ष में 1 जनवरी को की जाएगी जिसकी परीक्षा आयोजित की गई है।

(xxiv) अनुसूची-VI तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

अनुसूची 6 [देखें नियम 6(9) और 6(10)]

भाग (क) गैर चिकित्सा सहित गैर नैदानिक शरीर रचना विज्ञान शास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (शरीर रचना विज्ञान); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (शरीर रचना विज्ञान), या विज्ञान (शरीर रचना विज्ञान) स्नातकोत्तर डिग्री के साथ मेडिसन में बैचलर डिग्री और शल्य चिकित्सा में बैचलर डिग्री; या डाक्टर ऑफ फिलोसोफी		[देखें नियम 6(9) और 6(10)]	भाग ख
भाग (क) गैर चिकित्सा सहित गैर नैदानिक शरीर रचना विज्ञान शरीर रचना विज्ञान मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (शरीर रचना विज्ञान); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (शरीर रचना विज्ञान), या विज्ञान (शरीर रचना विज्ञान) स्नातकोत्तर डिग्री के साथ मेडिसन में बैचलर डिग्री रचना विज्ञान) स्नातकोत्तर डिग्री ; या डाक्टर ऑफ फिलोसोफी और शल्य चिकित्सा में बैचलर डिग्री ; या डाक्टर ऑफ फिलोसोफी	विषय		
2. शरीर क्रिया विज्ञान डाक्टर ऑफ सांइस (चिकित्सा शरीर रचना विज्ञान) के साथ प्रशास (चिकित्सा शरीर रचना विज्ञान) में मास्टर डिग्री डाक्टर ऑफ मेडिसन (शरीर क्रिया विज्ञान); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (शरीर क्रिया विज्ञान)*, या एमएससी (शरीर क्रिया विज्ञान) के बोर्ड (शरीर क्रिया विज्ञान)*, या एमएससी (शरीर क्रिया विज्ञान) के साथ एमबीबीएस; या डॉक्टर ऑफ फिलोसोफी (चिकित्सा शरीर क्रिया विज्ञान) के साथ; या डॉक्टर ऑफ साइंस (चिकित्सा शरीर क्रिया	भाग (क) गैर चिकित्सा सहित गैर नैदानिक शरीर रचना विज्ञान	मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (शरीर रचना विज्ञान); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (शरीर रचना विज्ञान), या विज्ञान (शरीर रचना विज्ञान) स्नातकोत्तर डिग्री के साथ मेडिसन में बैचलर डिग्री और शल्य चिकित्सा में बैचलर डिग्री; या डाक्टर ऑफ फिलोसोफी और शल्य चिकित्सा में बैचलर डिग्री; या डाक्टर ऑफ फिलोसोफी (शरीर रचना विज्ञान) के साथ एमएससी (शरीर रचना विज्ञान), या डॉक्टर ऑफ सांइस (चिकित्सा शरीर रचना विज्ञान) के साथ विज्ञान (चिकित्सा शरीर रचना विज्ञान) में मास्टर डिग्री डाक्टर ऑफ मेडिसन (शरीर क्रिया विज्ञान); या डिप्लोमेट राष्ट्री बोर्ड (शरीर क्रिया विज्ञान)*, या एमएससी (शरीर क्रिया विज्ञान)	प के

			THE GAZ	ZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART		
	जैव भौ	तिकी	भौतिकी एमएसर मेडिसन	ऑफ मेडिसन (जैव भौतिकी); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (जैव)*, या डॉक्टर ऑफ फिलोसोफी (जैव-भौतिकी) के साथ भी (जैव भौतिकी या चिकित्सा जैव रसायन); या डाक्टर ऑफ (शरीर रचना विज्ञान); या जैव भौतिकी में एक वर्ष के ए (शरीर रचना विज्ञान); या जैव भौतिकी में एक वर्ष के		
5. भेषज गुण विज्ञा		गुण विज्ञान	बोर्ड (क् भेषज या डा या वि साइंस	जिस साथ डापटर जा गामित है। जिस्सी के साथ डापटर जा प्राप्त के साथ डापटर जा प्राप्त विज्ञान); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय मेषज गुण विज्ञान)*, या डाक्टर ऑफ फिलोसोफी (चिकित्सा मेषज गुण विज्ञान) के साथ चिकित्सा भैषज गुण विज्ञान) के साथ; क्टर ऑफ फिलोसोफी (चिकित्सा भेषज गुण विज्ञान) के साथ; ज्ञान निष्णात (चिकित्सा भेषज गुण विज्ञान), या डाक्टर ऑफ ज्ञान निष्णात (चिकित्सा भेषज (भेषज गुण विज्ञान) के साथ विज्ञान निष्णात (चिकित्सा भेषज विज्ञान)।	नैदानिक र्	विकृति
6.	विकृति विज्ञान डाक (विक् डाक		(विकृ	टर ऑफ मेडिसन (विकृति विज्ञान) ; या डिप्लामट राष्ट्राप पाउँ विज्ञान)*, या डाक्टर ऑफ फिलोसोफी (विकृति विज्ञान) ; या हिप्त ऑफ साइंस (विकृति विज्ञान) टर ऑफ साइंस (विकृति विज्ञान) विकृ और		ान में तोमा, या ति विज्ञान जीवाणु
7.	जी	म जीव विज्ञा वाणु विज्ञान रेडियोलॉजिकल भौतिक विज्ञान	(जी डिंग् (चि क्रि जी वि स स (पै नि	त्टर ऑफ मेडिसन (जीवाणु विज्ञान); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड वाणु विज्ञान)*, या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सूक्ष्म जीव विज्ञान); या लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (सूक्ष्म जीव विज्ञान)*, या विज्ञान निष्णात किल्सा जीवाणु विज्ञान) के साथ चिकित्सा में बैचलर और शल्य किल्सा जीवाणु विज्ञान) के साथ चिकित्सा में बैचलर और शल्य वाणु विज्ञान) के साथ विज्ञान निष्णात (चिकित्सा सूक्ष्म जीवाणु विज्ञान) के साथ विज्ञान निष्णात (चिकित्सा जीवाणु विज्ञान); या डाक्टर ऑफ फिलोसोफी (चिकित्सा जीवाणु विज्ञान), या डाक्टर ऑफ विकित्सा जीवाणु विज्ञान) के साथ विज्ञान निष्णा इंस (चिकित्सा जीवाणु विज्ञान), डाक्टर ऑफ फिलोसोफी (चिकित्सा जीवाणु विज्ञान); या विज्ञान निष्णात (चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान); या विज्ञान निष्णात (चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान); या विज्ञान निष्णात (चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान) के साथ विज्ञान निष्णात (चिकित्सा सुक्ष्म जीव विज्ञान) के साथ विज्ञान निष्णात (भौतिक विज्ञान/उज्ज्ञान) के साथ विज्ञान निष्णात (भौतिक विज्ञान/रसा भौतिक विज्ञान/रसा विज्ञान/जैव-भौतिक विज्ञान), या डिप्लोमा राष्ट्रीय (रिडियोलॉजिकल भौतिक विज्ञान)	विकृति अौर विज्ञान विज्ञान क क क सा विव्	विज्ञान जीवाणु में
	9	भाग (क 1) नैदानिक फोरेंसिक चिकि		डॉक्टर ऑफ मेडिसन (फोरेंसिक चिकित्सा), या डिप्लोमेट रा बोर्ड (फोरंसिक चिकित्सा)*	चिवि	सिक केत्सा लोमा
		1-0-		ने क्या मेरिसन (स	ामान्य	
	10.	ख. नैदानिक साधारण	चिकित्सा	डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (स चिकित्सा), या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा/स	ामान्य	

1.	बाल वि	चेकित्सा	डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल चिकित्सा), या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (बाल चिकित्सा विज्ञान)*	बाल चिकित्सा में डिप्लोमा, या बाल स्वास्थ्य में डिप्लोमा
12.	क्षय चिकि चिकि	रोग और श्वसन त्सा/ फुफ्फुसीय त्सा	डाक्टर ऑफ मेडिसन (क्षय रोग और श्वसन रोग); या डिब्लासट राष्ट्रीय बोर्ड (क्षय रोग)/(क्षय रोग और श्वसन रोग), या डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा) क्षय रोग में डिप्लोमा; या क्षय रोग और वक्ष रोगों में डिप्लोमा के साथ, या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा), या टाक्टर ऑफ मेडिसन (क्षय रोग और वक्ष रोग), या डिप्लोमेट	क्षय रोग में डिप्लोमा, या क्षय रोग और वक्ष रोग में डिप्लोमा
13	मनो	रोग विज्ञान	राष्ट्रीय बोर्ड (क्षय राग आर वक्ष राग) डाक्टर ऑफ मेडिसन (मनोरोग विज्ञान); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (मनोचिकित्सक चिकित्सा); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (मनोरोग विज्ञान/मनोविज्ञान चिकित्सा)*, य मनोविज्ञान चिकित्सा में डिप्लोमा के साथ डॉक्टर ऑफ मेडिसन	मनोचिकित्सीय चिकित्सा में डिप्लोमा या मनोरोग विज्ञान न में डिप्लोमा
14.	त्व रो	चा विज्ञान, र ग विज्ञान और कु ग	प्ठ (त्वचा विज्ञान और रात राग), पा डाक्टर ऑफ मेडिसन (त्वच के साथ त्वचा विज्ञान में डिप्लोमा; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (त्वचा विज्ञान, रं विज्ञान और रित रोग); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (त्वचा विज्ञान, रं रोग और कुष्ठ रोग); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (त्वचा विज्ञान रित रोग विज्ञान सिहत); डाक्टर ऑफ मेडिसन (त्वचा विज्ञान रित रोग विज्ञान या कुष्ठ रं डाक्टर ऑफ मेडिसन (त्वचा विज्ञान रित रोग विज्ञान या कुष्ठ रं विज्ञान सिहत); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (त्वचा विज्ञान और रोग विज्ञान/त्वचा विज्ञान, रित रोग विज्ञान और कुष्ठ/ रित रोग विज्ञान सिहत/ त्वचा विज्ञान/रित रोग विज्ञान या कुष्ठ रोग सि या रित रोग और त्वचा विज्ञान में डिप्लोमा या त्वचा विज्ञान डिप्लोमा के साथ डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा), या डिप्ले राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा)*	वा रित रोग और ति त्वचा विज्ञान में डिप्लोमा या या त्वचा विज्ञान रोग और रित रोग रित विज्ञान में डिप्लोमा हेत)
	 15. साधारण शल्य चिकित्सा 16. आर्थोपेडिक्स 17. प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान 		मास्टर ऑफ सर्जरी (सामान्य शल्य चिकित्सा), या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (शल्य चिकित्सा/साधारण शल्य चिकित्सा)* मास्टर ऑफ सर्जरी (आर्थोपेडिक्स), या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड डिप्लं (आर्थोपेडिक्स)* न और डाक्टर ऑफ मेडिसन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान); या शल्य चिकित्सा निष्णात (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान), या शल्य चिकित्सा निष्णात (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)*	
+				
	17.	स्त्री रोग विज्ञान	ि मोरे राष्ट्रीय बोर्ड (प्रसित विज्ञान और स्त्री राग विज्ञान)	डिप्लोमा

3	Т	THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY [PART	इंप्लोमा
		डॉक्टरेट ऑफ मेडिसन (चिकित्सा) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा), या भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास में डिप्लोमा के साथ शल्य चिकित्सा निष्णात (सामान्य शल्य चिकित्सा)/शल्य चिकित्सा निष्णात (आर्थोपेडिक्स) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (सामान्य शल्य चिकित्सा/आर्थोपेडिक्स) भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास (पुनर्वास चिकित्सा) की विशेषज्ञता में दो वर्ष के प्रशिक्षण के साथ या भारत में किसी भी अनुमोदित संस्थान में अनुमोदित विषय में दो वर्ष का समतुल्य प्रशिक्षण	नेत्र विज्ञान में
19.	नेत्र विज्ञान	शल्य चिकित्सा निष्णात (नेत्र विज्ञान); या एमडी (नेत्र विज्ञान), या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (नेत्र विज्ञान)*	डिप्लोमा, या नेत्र विज्ञान, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा में डिप्लोमा
20.	आटो-राइनो- लराइगोलोजी (कान नाक और गला)		लराइगोलोजी में डिप्लोमा आयुर्विज्ञान और
21.	विकिरण निदान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकिरण निदान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकिरण विज्ञान) ; या शल्य चिकित्सा निष्णात (विकिरण विज्ञान)	विकिरण निदान में डिप्लोमा या एक वर्ष का समतुल्य डिप्लोमा
22.	विकिरण चिकित्स विज्ञान	ा डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकिरण निदान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकिरण विज्ञान) ; या शल्य चिकित्सा निष्णात ((विकिरण विज्ञान), या डिप्लोमेट राष्ट्री बोर्ड (विकिरण निदान/विकिरण विज्ञान)*	चिकित्सा विकिरण निदान (डीएमआरडी) में डिप्लोमा य समतुल्य डिप्लोमा
23	3. संवेदनाहरण विज्ञ	शत्य चिकित्सा निष्णात (सवदनाहरण विज्ञान),	
2	24. न्युक्लियर चिकि	बाड (सवदनाहरण पिकास) जिल्ला डाक्टर ऑफ मेडिसन (न्युक्लियर चिकित्सा); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (न्युक्लियर चिकित्सा)*, या डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकिरण चिकित्सा) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय (विकिरण चिकित्सा)*, या विकिरण चिकित्सा में मान्यता प्राप्त के से दो वर्ष के अनुभव के साथ डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय (चिकित्सा)*, या विकिरण चिकित्सा में मान्यता प्राप्त केन्द्र से ह	बोर्ड न्द्र बोर्ड

भाग II-	खण्ड	3(1)]	ि केरे गारीय बोर्ड	
			डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकिरण निदान) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (विकिरण-निदान)*, या डाक्टर ऑफ मेडिसन (जैव-भौतिकी विज्ञान) या इसके न्युक्लियर चिकित्सा में मान्यता प्राप्त केन्द्र से दो वर्ष के अनुभव के साथ	ब्यावहारिक
	-		डाक्टर ऑफ मेडिसन (जैव रसायन) ; या	पोषण में विज्ञान
25.	पोषा		डाक्टर ऑफ मेडिसन (शरीर रचना विज्ञान) ; या	निष्णात या एक वर्षकी अवधिका
			डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकृति विज्ञान) ; या	विशेष प्रशिक्षण
			डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामाजिक एवं निवारक चिकित्सा); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक चिकित्सा); या डाक्टर ऑफ डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक चिकित्सा); या डाक्टर ऑफ	
			मेडिसन (बाल राग विज्ञान), या निकात चिकित्सा/ सामाजिक रसायन/ शरीर रचना विज्ञान/ विकृति विज्ञान/ चिकित्सा/ सामाजिक एवं निवारक चिकित्सा/ सामुदायिक चिकित्सा/ बाल रोग विज्ञान)*	
			सहित	इंडोक्रीनोलोजी में
26.	म	ानव उपापचय	डाक्टर ऑफ मेडिसन (इंडोक्रीनोलोजी) ; या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (इंडोक्रीनोलोजी) ; या	दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण
			डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा); या	
			डाक्टर आफ मोडसप (रिपासक्ता) डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) ; या डिप्लोमेट राप्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा/ बाल रोग विज्ञान);* सहित	-
				दो वर्ष का
27		प्रतिरक्षी रुधिर विज्ञा और रक्त अंतरण	डाक्टर ऑफ मेडिसन (प्रतिरक्षी रुधिर विज्ञान और रक्त अंतरण), व डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (प्रतिरक्षा/ प्रतिरक्षी रुधिर विज्ञान और रक् अंतरण) * या डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकृति विज्ञान)/	ा जल्यान या
			भेटियन (जीवाण विज्ञान)/	प्रशिक्षण
			डाक्टर ऑफ मेडिसन (रुधिर विज्ञान); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय व (विकृति विज्ञान/ जीवाणु विज्ञान/ रुधिर विज्ञान)* सहित	ांडे
2	8.	कुटुंब चिकित्सा	डाक्टर ऑफ मेडिसन (कुटुंब चिकित्सा) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (साधारण चिकित्सा) ; या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (परिवार औपधि/ मामान्य औपधि) *	
			क्षेत्रकार विकित्सा) या	
	29.	विमानन चिकित्स	्रायविज्ञान) : या । su	तेमेट
		विमानपत्तन चि	राष्ट्रीय बोर्ड (विमानन आयुविज्ञान या विभाग राज्य	*
	30.	वृद्धावस्था विज्ञान	त डाक्टर ऑफ मेडिसन (कुटुंब चिकित्सा) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (साधारण चिकित्सा) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (वृद्धावस्था विज्ञान) ; या डिप्लोमेट र बोर्ड (परिवार औषधि / वृद्धावस्था विज्ञान) *	ाष्ट्रीय

)		THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART]	1—SEC. 3(1)]
1.	स्वास्थ्य प्रशासन	डाक्टर ऑफ मेडिसन (स्वास्थ्य प्रशासन); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (अस्पताल प्रशासन); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (स्वास्थ्य प्रशासन/अस्पताल प्रशासन/मामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन) *	
32.	अस्पताल प्रशासन	डाक्टर ऑफ मेडिसन (अस्पताल प्रशासन) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (स्वास्थ्य प्रशासन) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (स्वास्थ्य प्रशासन/अस्पताल प्रशासन/मामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन) *	
33.	क्रीड़ा चिकित्सा	डाक्टर ऑफ मेडिसन (क्रीड़ा चिकित्सा); या शल्य चिकित्सा निष्णात (अस्थि भंग विज्ञान); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (क्रीड़ा चिकित्सा/अस्थि रोग/पीएमआर)* या डाक्टर ऑफ मेडिसन (शरीर रचना विज्ञान) के साथ क्रीड़ा चिकित्सा में दो वर्ष का अनुभव; या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (शारीरिक रचना विज्ञान)* के साथ क्रीड़ा चिकित्सा में दो वर्ष का अनुभव।	
34.	ऊष्णकटिबंधीय चिकित्सा संधिवातीय शास्त्र	डाक्टर ऑफ मेडिसन (ऊष्णकिटबंधीय चिकित्सा); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (साधारण चिकित्सा); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (ऊष्णकिटवंधीय चिकित्सा/सामान्य चिकित्सा)* या डाक्टर ऑफ मेडिसन (स्ध्म जीव विज्ञान) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (स्थ्म जीव विज्ञान)* के साथ दो वर्ष का नैदानिक चिकित्सा में अनुभव डाक्टर ऑफ मेडिसन (संधिवातीयशास्त्र); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड डाक्टर ऑफ मेडिसन (संधिवातीयशास्त्र); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड	
35		(संधिवातीयशास्त्र)* या डाक्टर आफ माडसन (स्तर्मा) डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा)* के साथ संधिवातीय शास्त्र या प्रतिरक्षा विज्ञान में दो वर्ष का अनुभव	
36	 स्वास्थ्य शिक्षा 	डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामाजिक और निवारक आयुर्विज्ञान); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक चिकित्सा); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (स्वास्थ्य प्रशासन); या डॉक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (सामाजिक एवं निवारक चिकित्सा/सामुदायिक चिकित्सा/स्वास्थ्य प्रशासन/सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन)*	
3	37. सामुद्रिक चिकित्स	वार्ड (शरार रचना विकास) पा उपाउपाउपाउपाउपाउपाउपाउपाउपाउपाउपाउपाउपाउ	
;	38. वृत्तिक स्वास्थ्य	डाक्टर ऑफ मेडिसन (मनोरोग चिकित्सा); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास); या शल चिकित्सा निष्णात (अस्थि रोग) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (मनोरो चिकित्सा/शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास/अस्थि रोग)*	न्य ग

भाग II-	खण्ड 3(i)]	भारत का राजपत्र : असाधारण	
0 1	विषाणु विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (सूक्ष्म जीव विज्ञान); या	
9.	1441 (1340)	डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकृति विज्ञान); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (सूक्ष्म जीव विज्ञान/विकृति विज्ञान)* या	
		डॉक्टर आफॅ मेडिसिन (चिकित्सा) या	
		ि केले गारीम बोर्ड (चिकित्सा)* या	
		विज्ञान निष्णात (विषाणु चिकित्सा) के साथ विषाणु विज्ञान में दो वर्ष	
		का विशेष प्रशिक्षण अतिविशेषज्ञताएं	
		E STATE AND A STATE OF THE STAT	
40.	जठार तंत्र चिकित्सा	डाक्टर ऑफ मेडिसन (जठार तंत्र विज्ञान); या	
		डाक्टर ऑफ मेडिसन (जठार तत्र विज्ञान); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (जठार तंत्र चिकित्सा/जठार तंत्र विज्ञान)* या डाक्टर ऑफ मेडिसन	
		(चिकित्सा) या डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) (चिकित्सा/बाल रोग विज्ञान) के साथ जठार रोग विज्ञान में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण	
41.	तंत्रिका विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (तंत्रिका विज्ञान) या डिप्लोमट राष्ट्रीय बाड	
		(तात्रका विज्ञान) डाक्टर ऑफ मेडिसन (इंडोक्रिनोलाजी); या डिप्लोमेट राप्ट्रीय बोर्ड	
42.	इंडोक्रिनोलाजी	(इंडोक्रिनोलाजी) या	
		डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा); या	
		डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) या डिप्लोमेट राप्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा/बाल रोग विज्ञान) के साथ इंडोक्रिनोलाजी में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण;	
		र रेजिन (उद्या रोग विज्ञान): या डिप्लोमेट राष्ट्रीय वाड	
43	 हृदय रोग विज्ञा 	(न्या रोग विज्ञान)*	
44	4. वृक्क रचना	विज्ञान डाक्टर ऑफ मेडिसन (वृक्क रचना विज्ञान); या डिप्लामट राष्ट्रीय बोर्ड (वक्क रचना विज्ञान)*	
		के विकास विकास (प्लास्टिक शल्य चिकित्सा); या	
4	5. प्लास्टिक संरचनात्मक चिकित्सा	शल्य मेजिस्टर चिरुरगुई (प्लास्टिक और संरचनात्मक शल्य चिकित्सा/प्लास्टिक एवं डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (प्लास्टिक शल्य चिकित्सा/प्लास्टिक एवं	
		्र क्षेत्र क्षीय शब्य चिकित्सा); या	
-	46. हृदय वाहिर्व वक्षीय शल्य र्		
	वक्षाय शल्य ।	मेजिस्टर चिरुरगुई (हृदय शल्य चिकित्सा); या	
		क्रियाई (बाहिकीय शल्य चिकित्सा); या	
		डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (हृदय संबंधी और वक्षीय शल्य चिकित्सा, वक्षीय शल्य चिकित्सा/ हृदय शल्य चिकित्सा/ वाहिकीय शल्य चिकित्सा)*	

.2		The state of the s					
7.	तंत्रिका शल्य चिकित्सा	मेजिस्टर चिरुरगुई (तंत्रिका बोर्ड (तंत्रिका शल्य चिकित्स	शल्य चिकित्सा); या डिप्ल ा)	गोमेट राष्ट्रीय			
18.	बाल रोग शल्य	मेजिस्टर चिरुरगुई (बाल रोग	ग शल्य चिकित्सा) या				
	चिकित्सा	डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (बाल					
49.	मूत्र विज्ञान	मेजिस्टर चिरुरगुई (मूत्र वि विज्ञान)	जिस्टर चिरुरगुई (मूत्र विज्ञान) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (मूत्र वैज्ञान)				
50.	नवजात विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (नवज	ात विज्ञान); या				
		डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (नव	जात विज्ञान) या				
		डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल	रोग विज्ञान) या डिप्लोमेट थ नवजात विज्ञान में दो ट	र राष्ट्रीय बोर्ड वर्षका विशेष			
51.	नैदानिक रुधिर विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (नैदार्ग बोर्ड (नैदानिक रुधिर विज्ञा	निक रुधिर विज्ञान); या डिप न) या	लोमेट राष्ट्रीय			
		डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा) या	विज्ञान में दो वर्ष का				
		डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) या	विशिष्ट प्रशिक्षण				
		डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकृति विज्ञान) या					
		डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा/ बाल रोग विज्ञान/ विकृति विज्ञान)*					
		दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण					
52.	नैदानिक फार्मोकोलॉजी	डाक्टर ऑफ मेडिसन राष्ट्रीय बोर्ड (फार्मोकोलॉ विशेष प्रशिक्षण;	डाक्टर ऑफ मेडिसन (नैदानिक फार्मोकोलॉजी); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (फार्मोकोलॉजी)* नैदानिक फार्मोकोलॉजी में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण;				
53.	रोग प्रतिरक्षा विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (रो बोर्ड (रोग प्रतिरक्षा विज्ञा	ग प्रतिरक्षा विज्ञान); या ि न)* या	डेप्लोमेट राष्ट्रीय			
e E		डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा); या					
		डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकृति विज्ञान); या					
		डाक्टर ऑफ मेडिसन (सूक्ष्म जीव विज्ञान); या					
		डाक्टर ऑफ मेडिसन (ब (चिकित्सा/विकृति विज्ञा रोग प्रतिरक्षा विज्ञान में	ाल रोग विज्ञान) या डिप्लो न/सूक्ष्म जीव विज्ञान/बाल दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण स	राग विज्ञान)`) ।हित;			
54.	चिकित्सा आनुवांशिर्क	ो डाक्टर ऑफ मेडिसन (चि बोर्ड (चिकित्सा आनुवांशि	वेकित्सा आनुवांशिकी) ; या ⁽ शेकी)* या	डिप्लोमेट राष्ट्रीय			
		डाक्टर ऑफ मेडिसन (ब	ाल रोग विज्ञान); या				

ग ॥-खण्	£ 3(i)]	भारत की राजपत्र : असावारन
ii II-G		डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा); या
		शल्य चिकित्सा (एनोटमी)* या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (बाल रोग विज्ञान/चिकित्सा/एनोटमी)*
		चिकित्सा आनुवांशिकी में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण सहित;
5. चि	कित्सा अर्बुदविज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा अर्बुदविज्ञान); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा अर्बुदविज्ञान)* या
		डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा) ; या
	F-1 74-13	डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकिरण चिकित्सा) ; या
		डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा/विकिरण विज्ञान/बाल रोग विज्ञान)* चिकित्सा अर्बुदविज्ञान में दो वर्ष के विशेष प्रशिक्षण सहित;
0.	ल्य चिकित्सीय ठार तंत्र	मेजिस्टर चिरुरगुई (शल्य चिकित्सीय जठार तत्र); यो डिप्लामट राष्ट्रीय बोर्ड (शल्य चिकित्सा/जठार तंत्र विज्ञान)* या मास्टर ऑफ सर्जरी (सामान्य सर्जरी) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (सामान्य सर्जरी)* शल्य चिकित्सा जठार तंत्र विज्ञान में दो वर्ष के विशेष प्रशिक्षण
		सहित; मेजिस्टर चिरुरगुई (शल्य चिकित्सा अर्बुदविज्ञान) ; या डिप्लोमेट
01.	शल्य चिकित्सीय अर्बुदविज्ञान	मोजिस्टर चिरुरगुई (शल्य विविद्या अर्बुदविज्ञान विज्ञान)* या मास्टर ऑफ राष्ट्रीय बोर्ड (शल्य चिकित्सा अर्बुदविज्ञान विज्ञान)* या मास्टर ऑफ सर्जरी (सामान्य सर्जरी) या मास्टर ऑफ सर्जरी (कान, नाक, गला);
		या
		मास्टर ऑफ सर्जरी (अस्थि रोग विज्ञान); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (प्रसूति और स्त्री रोग विज्ञान) या डिप्लोमेट
===		राष्ट्रीय बोर्ड (सर्जरी/इएनटी/ ऑस्थ राग विज्ञान/ प्रसूर्ण जार राग रोग विज्ञान)* शल्य चिकित्सा अर्बुदविज्ञान में दो वर्ष के विशेष
		प्रशिक्षण सहित;
58.	बाल रोग हृदय रो	
	विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (हृदय रोग विज्ञान); या डिप्लामट राष्ट्राय बार्ड
	===	(हृदय रोग विज्ञान)* या डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड
		डाक्टर ऑफ मीडेसन (बाल राग विज्ञान) या विज्ञान के विशेष प्रशिक्षण (बाल रोग विज्ञान)* हृदय रोग विज्ञान में दो वर्ष के विशेष प्रशिक्षण
59.	पल्मोनरी मेडिसन	साहतः डाक्टर ऑफ मेडिसिन (पल्मोनरी मेडिसन) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (पल्मोनरी मेडिसन)* या
		डाक्टर ऑफ मेडिसन (रेस्पीरेट्ररी मेडिसन) या डाक्टर ऑफ मेडिसन
		(सामान्य चिकित्सा) या डाक्टर आफ मोडसन (बाल राग प्रकार)
		डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (रस्पार्ट्र) मोडसमा सामा बाल रोग विज्ञान)*। पल्मोनरी मेडिसिन में दो वर्ष के विशेष प्रशिक्षण
		सहित।
-		घ. लोक स्वास्थ्य
		्रे २० (क्याचिक और निवारक चिकित्सा) ; या
60.	Challet at 1.	और डाक्टर ऑफ मोडसन (सामाजिक जार निर्माण) : या डाक्टर ऑफ
	निवारक चिकित्स	च्या प्रशासन या डाक्टर आफ माडसन
	सामुदायिक चिकि	त्सा मेडिसन (सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन) या डाप्टर जाए स्वास्थ्य प्रशासन) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (सामाजिक और
		(स्वास्थ्य प्रशासन) या विश्लानेट राज्यान सार्

4		निवारक चिकित्सा/ सामुदायिक चिकित्सा/ सामुदायिक स्वास्थ्य	
61		प्रशासन/ स्वास्थ्य प्रशासन)* डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामाजिक और निवारक चिकित्सा); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक चिकित्सा); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (स्वास्थ्य प्रशासन) या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (सामाजिक और निवारक चिकित्सा/ सामुदायिक चिकित्सा/ स्वास्थ्य प्रशासन/ सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन) या तीन वर्षीय मास्टर-जन स्वास्थ्य	जन-स्वास्थ्य में डिप्लोमा या औद्योगिक स्वास्थ्य में डिप्लोमा या ट्रोपिकल मेडिसन में डिप्लोमा। ट्रिपीकल्स मेडिसन और स्वच्छता मे
62.	जानपादिक रोग विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक चिकित्सा); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (स्वास्थ्य प्रशासन) या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (सामाजिव और निवारक चिकित्सा/ सामुदायिक चिकित्सा/ स्वास्थ्य प्रशासन सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन) । वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में जानपादिक रोग विज्ञान । एक वर्ष का प्रशिक्षण।	Ĥ
	बाल रोग नेफ्रोलॉजी	डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) तथा डाक्टरेट ऑफ मेडिस (नेफ्रोलॉजी) या डाक्टर ऑफ मेडिसन के पश्चात तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव जिस से दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण बाल रोग नेफ्रोलॉजी में हो।	1

टिप्पण 1 : किन्ही भारतीय विश्विद्यालय द्वारा दी गई कोई स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा जिसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियमयों, 1956 (1956 का 102) की अनुसूचियों में उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई मान्यता या वापस ली गई मान्यता के परिणामस्वरूप शामिल किया गया है या हटाया गया है को अनुसूची 6 से तदनुसार शामिल किया गया या अपवर्जित किया गया समझा जाएगा ।

टिप्पण 2 : किसी भारतीय विश्विद्यालय द्वारा दी गई किसी स्नातकोत्तर अर्हता को अनुसूची 6 के प्रयोजनों के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की अनुसूचियों में अवश्य शामिल किया गया हो।

टिप्पण 3 : नियंत्रक प्राधिकारी, आयोग के परामर्श से किसी आयुर्विज्ञान अर्हता को अनुसूची 6 के भाग क, भाग ख, भाग ग या भाग घ में सम्मिलित कर सकेगा।

टिप्पण 4 : डीएनबी अर्हता चिकित्सा संस्था में अध्यापकों की न्यूनतम अर्हता (संशोधन) विनियमावली, 2012, संशोधन अधिसूचना सं. एमसीआई-12(2)/2010-मेड.मि. तारीख 11.6.2012 या समय-समय पर यथासंधोधित में निर्धारित अपेक्षाओं के उपाबंधों के अधीन होंगे।

(xxv) निम्नलिखित प्रविष्टियों को अनुसूची- VIII के रूप में शामिल किया जाएगा: